Coal India Limited A Maharatna Company www.coalindia.in	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एक मिनिरत्न कंपनी) कोल इंडिया का अनुषंगी कंपनी	कार्यालय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, भटगांव क्षेत्र, पो.आ.- भटगांव कालरी, जिला- सूरजपुर, पिन कोड- 497235
NO: SECL/GM/BHAT/NO(Envt)/2016/ 87		Date 21/11/2016

Balrampur Distt

To,

The Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Paryavas Bhavan, Northy Block, Sector 19,
Naya Raipur (CG)

Subject: Request for accomplishment of Public Hearing for **Jagannathpur OCP 3.0 MTPY Capacity of M/s South Eastern Coalfields Limited, Bhatgaon Area** and submission of Draft EIA / EMP, PH Document & Demand Draft bearing Rs. 10,000.00 in favor of Member Secretary, CECB, payable at Raipur for public consultation process.

Dear Sir,

A new opencast coal mine, **"Jagannathpur Opencast Project"** of **3.00 MTPY Capacity,** has been proposed to be commenced by M/s SECL to augment the Coal production of SECL, a subsidiary of Coal India Limited, to fulfill the coal demands of the country.

The following four villages of Surajpur and Balrampur district will be affected due to project activity;

1. Village- Jagannathpur, Tahsil- Pratappur, **district- Surajpur**, Chhattisgarh.
2. Village- Pampapur, Tahsil- Pratappur, **district- Surajpur**, Chhattisgarh.
3. Village- Paraswarkala, Tahsil- Rajpur, **district- Balrampur**, Chhattisgarh.
4. Village- Chaura, Tahsil- Rajpur, **district- Balrampur**, Chhattisgarh.

The project covers a total area of 661.169 hectare which includes 126.431 hectares forest land (Reserve Forest- 29.140 Ha. and Revenue Forest- 97.291Ha), 497.887 hectares tenancy land and 36.851 hectares Government Land. **Out of 661.169 Hectare area 337.960 hectares lies within District- Surajpur, Chhattisgarh and 323.209 Hectare lies within district- Balarampur-Ramanujganj, Chhattisgarh.** Total number of project

22/11/16

30A

affected persons is 616. Detailed Environmental Impact Assessment / Environmental Management Plan have been prepared by CMPDIL as per the guidelines mentioned in Schedule-IIIA in EIA Gazette Notification 2006. Process of award of environmental clearance is underway and is subjected to successful completion of Public Hearing as per Guidelines of Ministry of Environment and Forest & Climate Control.

DD no 439813 dated 19/11/2016, bearing Rs. 10,000 (Ten Thousand only) in favor of Member Secretary, CECB payable at Raipur, as the fee against the Public Hearing proceedings and 20 Hard Copies of the EIA / EMP / PH Documents along with soft copies are enclosed herewith for ready reference and kind consideration for early completion of Public Consultation Process.

It is now requested to accomplish Public Hearing Proceedings at an earlier convenience so that the EC can be attained earlier.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl: as above.

2.11.16

General Manager,
SECL, Bhatgaon Area.

21/11/16

CC: District Magistrate/Collector, Surajpur, (CG)
CC: District-Magistrate/Collector, Balrampur-Ramanujganj, (CG)
CC: The Comissioner, Municipal Corporation, Dist- Surajpur (CG).
CC: The Comissioner, Municipal Corporation, Dist- Balrampur-Ramanujganj, (CG)
CC: The District Industry Officer, District- Surajpur (CG).
CC: The District Industry Officer, District- Balrampur-Ramanujganj, (CG)
CC: The APCCF, MOFE Regional Office (WCZ), Civil Lines, Nagpur (MS).
CC: The Director Tech. (P&P), SECL, Bilaspur (CG)
CC: The General Manager (P&P), SECL, Bilaspur (CG).
CC: The General Manager (WBP/Env), SECL, Bilaspur, (CG).
CC: The General Manager (Oprn), SECL Bhatgaon Area.
CC: The Staff Officer (P&P), SECL Bhatgaon Area.
CC: The Occupier/ Sub Area Manager, Jagannathpur, Sub Area.
CC: The Nodal Officer(Envt), SECL Bhatgaon Area.

Coal India Limited A Maharatna Company www.coalindia.in	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एक मिनिरत्न कंपनी) कोल इंडिया का अनुषंगी कंपनी	कार्यालय महाप्रबंधक (संचालन), जरही भटगांव, पो. आ.- भटगांव कालरी, जिला- सूरजपुर, पिन कोड- 497235
No: SECL / Bhat / GM / NO(Envt) / 2017/ 175		Date: 26/04/2017

To

General Manager (WBP & ENVT),
South Eastern Coalfields Ltd,
Bilaspur.

Sub: Proceedings of Public Hearing event conducted for Jagannathpur OCP (3.0 MTPA Normative) of Bhatgaon Area.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the proceedings and related documents with respect to Public Hearing event conducted at Chaura village, Balrampur Dist on 10/02/2017 and Jagannathpur village, Surajpur Dist on 17/03/2017 for Jagannathpur Open cast Project (3.0 MTPA Normative and 3.50 Peak) under SECL, Bhatgaon Area.

This is for your kind information sir.

Yours sincerely,

26/4/17

Staff Officer (P&P)
Bhatgaon Area.

Copy to:

1. General Manager (Oprn.), Bhatgaon Area – for kind info.
2. Nodal Officer (Envt), Bhatgaon Area

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Paryavas Bhawan, Sector - 19,
Naya Raipur (C.G.) 492002

No. /TS/CECB/2017 Naya Raipur, Dated:

To,

The Secretary,
Government of India,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhavan, Level-2 Prithvi, Jorbag Road,
Aliganj,
New Delhi-110003

Sub: Proceeding of Public Hearing conducted as per provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006 (as amended) for proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare in Village– Paraswarkala & Chaura, Tehsil-Rajpur, District- Balrampur-Ramanujganj and Village- Jagannathpur & Pumpapur, Tehsil-Pratappur, District- Surajpur by M/s South Eastern Coal fields Limited.

---00---

With reference to above, M/s South Eastern Coal Fields Limited has proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare in two districts i.e. Village– Paraswarkala & Chaura, Tehsil-Rajpur, District- Balrampur-Ramanujganj and Village- Jagannathpur & Pumpapur, Tehsil- Pratappur, District- Surajpur.

Chhattisgarh Environment Conservation Board has conducted Public Hearing on 10/02/2017 at Premises of Govt. Higher Secondary School, Gram Panchayat Chaura, Tehsil-Rajpur, District- Balrampur-Ramanujganj (C.G.) for proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare by M/s South Eastern Coal Fields Limited as per the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006.

Similarly, Chhattisgarh Environment Conservation Board has conducted Public Hearing on 17/03/2017 at Premises of Dhan Kharidi Kendra, Jagannathpur, District- Surajpur (C.G.) for proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare by M/s South Eastern Coal Fields Limited as per the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006.

The proceedings of both pub c hearing and other documents are enclosed herewith in original for necessary action please.

Encl:

A. **Public Hearing at Distric - Balrampur-Ramanujganj (C.G.)**

1. News clippings of public notices (Page No. 01 to 04)
2. Objections/Suggestions received during public hearing (Page No. 01 to 43)
3. Statement of main issues raised by the public during the public hearing & reply of the project proponent (Page No. 01 to 06)
4. Attendance sheet (Page No. 01 to 14)
5. Proceedings of public hearing (Page No. 01 to 07)

6. Videography CD of public hearing (0…
7. C.D. of the proceedings of public hearing (01 No.)

B. **Public Hearing at District - Surajpur (C.G.)**

1. News clippings of public notices (Page No. 01 to 03)
2. Objections/Suggestions received during public hearing (Page No. 01 to 44)
3. Statement of main issues raised by the public during the public hearing & rep… the project proponent (Page No. 01 to 04)
4. Attendance sheet (Page No. 01 to 07)
5. Proceedings of public hearing (Page No. 01 to 06)
6. Videography CD of public hearing (04 Nos.)
7. C.D. of the proceedings of public hearing (01 No.)

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Naya Raipur(C.G)

Endt. No 299 /TS/CECB/2017
Copy to :-

Naya Raipur, Dated 12/4/1…

1. General Manager, M/s Jagannathpur Open Cast Project, S.E.C.L., Bhatgaonv Are… Post- Bhatgonv Collery, District - Surajpur (C.G.) 497 235. Please find enclosed herewith the photocopy of public hearing documents including Videography CD of public hearing (01 Set.) of the project as mentioned above for further submission to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for obtaining Environmental Clearance.

2- Regional Officer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur.

Encl: As above

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Naya Raipur (C.G).

कलेक्टर एवं जिला म…
…/स्था0 शा0/कार्या/2018

संलग्नक-1

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलरामपुर–रामानुजगंज (छ०ग०)

क्रमांक/966/खनिज/ 2016 बलरामपुर दिनांक 21 / 12 / 2016

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ०ग० पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर

विषय :– एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन प्रोजेक्ट क्षमता – 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम – जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह. – प्रतापुर, जिला –सुरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम – परसवारकला एवं चौरा, तह. राजपुर, जिला – बलरापुर – रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावर्णीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 1266/क्षे.का./छ.ग.प.सं. मं./2016 अम्बिकापुर दिनांक 16.12.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एस0ई0सी0एल0 भटगांव क्षेत्र द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में भारत सरकार के पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन,मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में लागू एन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिस्मेंट नोटिफिकेशन 1994 को अधिक्रमित कर एस0ओ0 1533 (ई.) दिनांक14.09.2006 को लागू एन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट नोटिफिकेशन जो भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 14.09.2006 से प्रभावशील है के अनुसार लोक सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि (जिसका स्तर अपर जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से कम न हो) के पर्यवेक्षण एवं अध्यक्षता में समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न करवाये जाने का प्रावधान है लोक सुनवाई की सूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय पत्र में कम से कम 30 दिवस पूर्व प्रकाशित कराये जाने का प्रावधान है।

तत्संबंध में लोक सुनवाई हेतु स्थान – शास0 उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा, तहसील – राजपुर, जिला – बलरामपुर – रा0गंज, – दिनांक 10 फरवरी 2017, समय – 12 बजे दोपहर, एवं अध्यक्ष – **श्री बी0 एस0 उईके (अपर कलेक्टर) जिला बलरामपुर – रा0गंज** नामांकित किये गये है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

21/12/16

खनि अधिकारी
जिला–बलरामपुर रामानुजगंज

पृ0 क्र0/ /खनिज/ 2013 बलरामपुर दिनांक /12/2016

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर कलेक्टर जिला – बलरामपुर – रा0गंज की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, एस0ई0सी0एल0 भटगांव क्षेत्र , पोस्ट – भटगांव कॉलरी जिला – सूरजपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1372
26/12/16

खनि अधिकारी
जिला–बलरामपुर रामानुजगंज

कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा
बलरामपुर (छ0ग0)

सैलग्नक-2 (1)

MADHYA PRADESH
011
Bhopal, Dated 03.01.2017
ER
le Secure Code to be printed
nt is available on https://
tioned in the tender document.
v.in Important dates for Online
01.2017 to 5:00 P.M.
01.2017 up to 12:00 P.M.
01.2017 up to 2:00 P.M.
01.2017 at 3:30 P.M.
01.2017 at 3:30 P.M.
SECRETARY

US 'steps in' to resolve Indo-Pak Indus water row

Omer.Farooq.Khan
@timesgroup.com

Islamabad: The US administration has initiated the process to resolve the water dispute between India and Pakistan without waiting for a formal invitation, Dawn reported on Tuesday while quoting officials from Washington.

The current dispute is about Islamabad's concerns about the construction of the Kishanganga and Ratle hydroelectric power plants by India on the Indus rivers system. Pakistan believes the design of the projects violate the Indus Waters Treaty (IWT), a water distribution agreement signed between India and Pakistan in 1960 and brokered by the World Bank.

Last Friday, US secretary of state John Kerry called Pakistan finance minister Ishaq Dar and told him the US wanted an amicable solution on the issue. According to a statement issued by Islamabad, Kerry told Dar that the WB president had recently informed him about Pakistan's complaints against India regarding the IWT.

US secretary of state John Kerry telephoned Pak finance minister Ishaq Dar and said Washington wanted to see an amicable solution to the issue

Dar, the statement said, told him Pakistan appreciates US support and Islamabad's legal position on the IWT but it was the responsibility of the WB to make sure India honoured the treaty. Following the conversation, US ambassador to Pakistan David Hale also met Dar in Islamabad.

Convict's wife wants hubby back in jail

Times News Network

Ahmedabad: Meena Rathod, the wife of a life-term convict in the 2002 Naroda Patia massacre — Kalu Harisinh Rathod, alias Navab — moved the Gujarat high court and requested it to send her husband back to jail because he had jumped bail.

The woman wanted her husband back in jail because she was physically abused by the convict. She claimed Navab was released for a week but did not surrender to jail authorities after his bail period had ended.

The HC, however, rejected her request on the grounds that if the convict "after being enlarged on temporary bail has not surrendered to the jail authorities, it is for the concerned authorities to take necessary action in that regard". Navab is still out, 10 days after these proceedings.

Interestingly, Meena had filed a petition in the HC requesting that Navab be given temporary bail because their son was unwell.

DATED. 21.12.2016

2240145
@nic.in
NOTICE
ory, Kanpur, on behalf of the
tal (https://ofbeproc.gov.in).
Price bid.

	Quantity
04/GAUGE NO-COT- 227 5 NO. -COT-G-0046 ND-COT-G-157 O.-COT-G-160 ND-COT 59 MP10393 DRG NO. MA-1430 OFILE DRG NO. MA- NO. GW 90912 COT-G-168 NO. GW 90636.GW	03 NO. OF EACH ITEM

etc. an available on website
e-procurement portal only.
ght to reject any or all tender at his
das 10201/11/1761/1617

nited
Road, Jabalpur 482016

2016-17
contracting firms who have experience in
Basis.

Tender document Fee	Bid Processing	Period of Completion
Rs. 20,000 Rupee Twenty Thousand Only)	Rs. (Rupee Thou... On...)	24 months (Twenty four months)
Rs. 20,000 Rupee Twenty Thousand Only)	Rs. (Rupee Thousand)	20 months (Twenty months)

क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बैंक कालोनी, बीटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर (छ.ग.)
लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसईसीएल, भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नार्मेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं प्रेमनगर, तह. प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसवारकला एवं चौरा, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बावत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। उक्त के संबंध में लोक सुनवाई जिला कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-परसवारकला, चौरा एवं दुप्पी, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बीटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(951-65)

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर

Centre for Advanced Semiconductor Technology (ASemIT)
Defence Research & Development Organization, Ministry of Defence, Govt. of India
SOLID STATE PHYSICS LABORATORY Lucknow Road, Timarpur, Delhi-110054
Phone+91-11-23903879, Fax:+91-11-23903480

E-mail: hmm@asemit.drdo.in, Centrehead@asemit.drdo.in

एसईसीएल खदानें भी...

कुछ सालों पहले खदान के अंदर आग लग गई थी। यह मुश्किल से बुझी जिसे मुश्किल से बुझाया जा सका था। भारतीय खदान मजदूर फेडरेशन एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा का कहना है कि खदानों में सुरक्षा के उपाय व दुर्घटना पर बचाव व राहत के साधनों को आधुनिक करने की जरूरत है।

एसईसीएल मुख्यालय के श्रमिक नेताओं का कहना है कि प्रबंधन कोयले की खुदाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करवाने में देरी की जाती है। लक्ष्य पूरा करने के दबाव में कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी भई हो रही है, इसलिए हादसों की आशंका बढ़ गई है।

शिकायतों का निपटारा...

इसमें कहा गया है कि शिकायतों के निपटान में देरी की प्रमुख वजह किसी शिकायत के निपटान के लिए सक्षम अधिकारी की पहचान न हो पाना तथा हालिया सर्कुलरों या निर्देशों के बारे में जानकारी का अभाव है। निदेशालय ने कर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई शिकायत सीबीडीटी द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के दायरे में नहीं आती है, तो उसे पांच दिन के अंदर वापस किया जाए। निदेशालय ने सुझाव दिया है कि शिकायतों को देख रहे अधिकारी उनके पास आई शिकायत पर उचित तरीके से ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इस पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई हो।

बेटे को नहीं मना...

रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा ने आयोग को बताया कि सपा के 90% विधायक और नेता अखिलेश यादव के साथ हैं। इससे पहले सोमवार को मुलायम भी सपा और चुनाव चिह्न पर आयोग में दावा कर चुके हैं। अब पार्टी का नाम और निशान किसके पास रहेगा, यह फैसला आयोग ही करेगा। संभावना है कि अंतरिम व्यवस्था के तौर पर साइकिल का निशान फ्रीज कर दोनों धड़ों को अलग-अलग नाम और निशान दे दिया जाए।

सिंचाई के लिए बिजली...

उसकी चिंघाड़ सुनकर उसकी मां वहां पहुंच गई और वह भी करंट वाले तार के संपर्क में आ गई। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि ये हथिनी गर्भवती थी और कुछ ही दिन में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिस तार की चपेट में दोनों की मौत हुई, वह बिजली चोरी करने के लिए खेतों में बिछाई गई थी। जीआई वायर अवैध सिंचाई के लिए खींचा गया था। अब विभाग के लोग कह रहे हैं मामला दर्ज करेंगे। यहां दो साल के भीतर पांच हाथियों की मौत हो चुकी है।

राज्य के निवासियों...

इसके अलावा राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों का लाभ देने दिसंबर 2017 तक के लिए एक साल की छूट दी गई है। इसे ऐसे समझिए कि 40 साल की आयु का अभ्यार्थी भी नौकरी के लिए पांच साल की छूट के साथ आवेदन कर सकता है। अभी 35 साल अधिकतम सीमा है सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए। इसके साथ ही, अन्य विशेष वर्ग जैसे फ्रीडम फाइटर, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं इत्यादि के लिए उम्र में सभी छूटों को भी मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष की अवधि को दिसंबर 2017 तक बढ़ाया गया है।

हॉट योगा गुरु ...

47 साल की मीनाक्षी ने वकालत पेशा भी छोड़ने का ऐलान किया है। कोर्ट ने विक्रम के गैरेज मैनेजर से पूछा है कि उसकी कारें कहां गईं। मैनेजर का कहना है कि उसे इन कारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। मीनाक्षी ने कोर्ट को बताया था कि विक्रम की 43 लग्जरी कारें गायब हैं।

17 हजार करोड़...

हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग पर लगा है। हालांकि, टीएमसी ने इसे नकार दिया। सुदीप की गिरफ्तारी के बाद प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ममता ने कहा, "नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण प्रधानमंत्री उनके 'सांसदों को गिरफ्तार कर रहे हैं।' बता दें कि सीबीआई के तीसरे नोटिस के बाद सुदीप पूछताछ में शामिल हुए। पहले दो नोटिसों का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था।

एक हफ्ते में दूसरी गिरफ्तारी, एक मंत्री भी हो चुका है अरेस्ट : रोजवैली केस में हफ्ते के अंदर दूसरा टीएमसी सांसद गिरफ्तार हुआ है। पिछले दिनों तापस पाल को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सांसद कुणाल घोष व श्रीजॉय बोस और ममता सरकार के मंत्री मदन मित्रा को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

सारदा घोटाले से 7 गुना बड़ा है रोजवैली घोटाला : सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच शुरू की थी। जनवरी, 2016 में दायर चार्जशीट में यह घोटाला 17 हजार करोड़ रुपए का बताया गया है।

यानी सारदा घोटाले से सात गुना बड़ा। रोजवैली ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की। इसके 21 रीजनल और 880 ब्रांच ऑफिस के जरिये 20 लाख एजेंट पैसे इकट्ठे करने में लगे थे। दूसरी तरफ, ऑल इंडिया स्मॉल डिपॉजिटर्स एसोसिएशन का दावा है कि यह घोटाला 40 हजार करोड़ रुपए का है।

हुआ विवाद, तेज

प्रेम वर्मा/मंजीत धवन | राजपुरा/पटियाला(पंजाब)

पटियाला के राजपुरा में मंगलवार की शाम बाइक व कार की टक्कर को लेकर हुए विवाद के बाद तेजाब से हमला कर दिया गया। इस एसिड अटैक में छह लोग झुलस गए, जिसमें दो राहगीर भी शामिल हैं। पांच लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया है, जबकि एक सिविल अस्पताल में दाखिल है। इनकी पहचान हरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह,

संपूर्ण वार्षिक रखरखाव हेतु निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र.: एम-पीपीवाईडी-टी-37-ईओटीसी-10 दिनांक: 28.12.2016

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. मंडल यांत्रिक अभियंता/पीपीयार्ड/भिलाई, निम्नलिखित निविदा आमंत्रित करते हैं।

कार्य का नाम : पीपीयार्ड भिलाई में दो वर्ष एवं 60 दिनों की अवधि के लिए आरओएच शेड में 07 नग ईओटी क्रेनों की मरम्मत व बदलाव तथा सुरक्षा एवं दक्षता में सुधार कार्य और संपूर्ण वार्षिक रखरखाव हेतु अनुबंध।

निविदा मूल्य : ₹ 35,21,598/- (रुपये पैंतीस लाख इक्कीस हजार पांच सौ अंठानवे केवल), प्रतिभूति राशि जमा : ₹ 70,440/- (रुपये सत्तर हजार चार सौ चालीस केवल), निविदा आईआरईपीएस में प्रकाशित : दिनांक 28.12.2016, निविदा बंद होने की तिथि : दिनांक 08.02.2017 को 15.00 बजे।

उपर उल्लिखित कार्य के लिए निविदा दस्तावेजों की डाउनलोडिंग/देखने, पात्रता का मापदंड एवं संपूर्ण विवरण हेतु, कृपया वरि. मंडल यांत्रिक अभियंता/पीपीयार्ड/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, भिलाई के कार्यालय में संपर्क करें अथवा ऑफिशियल वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लॉग ऑन करें।

वरि. मंडल यांत्रिक अभियंता/पीपीयार्ड/भिलाई [illegible]

PRW/SLDME(PP[illegible])/HL/163

क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बैंक कॉलोनी, बीटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर (छ.ग.)

लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसईसीएल, भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित [illegible] जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नार्मेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह. प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसबारकला एवं चौरा, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। इस के संबंध में लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. [illegible] के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, [illegible], नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, [illegible], कार्यालय ग्राम पंचायत-परसबारकला, चौरा एवं [illegible], तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बीटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिन किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर

(951-55)

मिल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में दाल-दलहन का भंडारण सीमा समाप्त कराने के लिये जरूरी कदम उठाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा, देश में इस बार दालों का उत्पादन पिछले सत्र के मुकाबले 8 प्रतिशत बढ़कर करीब दो करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान है।

हरिभूमि दि० 04/01/2017 (3)

पहिया वाहन

वैशलेस इकॉनमी बनाने के उद्देश्य को रोट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर ई-वॉलेट पेमेंट सुविधा को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद पूनम महाजन, विधायक तृप्ति प्रकाश सा... एमएनजीएल के डायरेक्टर ...जेश पांडे, गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व एमडी बीसी त्रिपाठी और एमजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव माथुर भी थे।

दो कंपनियों को मिली स्वीकृति

वर्तमान में सीएनजी किट बनाने वाली दो निर्माता कंपनी इटक और लोवैटो को क्रमश: पुणे और गुड़गांव से दुपहिया सीएनजी किट की स्वीकृति मिली है। बाजार में सीएनजी दुपहिया वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए अन्य किट निर्माता भी इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने मुंबई से इसकी ...न्चिंग की। इस दौरान राज्य के शिक्षा... विनोद तावड़े भी मौजूद रहे।

बिलासपुर सराफा

राकेश ज्वेलर्स

सोना 24 कैरेट - 28,900 रु.
... 23 कैरेट - 27,900 रु.
चांदी पक्की - ...420 रु.
... कच्ची - ...430 रु.

नया नाम, भरोसा वही

अवार फ्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार-बिलासपुर छ.ग.
मो. 9302836065, 9907981343

क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बैंक कालोनी, बीटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर (छ.ग.)
लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसईसीएल, भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नार्मेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह. प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसवारकला एवं चोरा, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। उक्त के संबंध में लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चोरा तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु सचिवालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-परसवारकला, चोरा एवं डुम्मी, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.), मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(951-55)

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.)

क्रमांक/920/लो.नि.वि./न.पा./2016-17/ मनेन्द्रगढ़, दिनांक 02.01.2017

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि
1	2	3
वार्ड क्र. 01 मोतीलाल यादव के घर से गायकवाड के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	1.89 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 01 मदन प्रसाद के घर से अधिवक्ता के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	5.95 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 02 अशोक के घर से मिठाई लाल के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	6.23 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 08 हनुमान मंदिर से शेखदार के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	7.65 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 12 बैंक ऑफ बड़ौदा से डॉ. करन के घर के सामने तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.78 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 14 अमित जायसवाल इमाम बाड़ा तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	3.98 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 17 मौर्य कॉम्प्लेक्स से कटियार के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	7.67 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 19 विभिन्न स्थानों में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	3.97 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 20 पापा सरदार से नेशनल हाईवे तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	3.77 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017
वार्ड क्र. 22 साहू पेपर वाले के घर से संतोष सेन के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	4.28 BUILDING S.O.R. 01.01.2015	17.01.2017

1. उपरोक्त कार्य में कमी या वृद्धि संभव है। कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uad.cg.gov.in पर अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया (छ.ग.)

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत निर्माण में योगदान दें।

4

...हेतु रवाना किया। महापौर ... किसी अवरोध के उनकी ...ल होने व सकुशल वापसी ...ना की। तीर्थ यात्रियों के ...ल अधिकारी मनोज कुमार ...आर.एन. ...श्रा में रवाना

अधिकारी आर.के. बर्मन, परियोजना अधिकारी एम. के. दीवान, गंगाप्रसाद तिवारी, संजय झा आदि के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे।

...अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर उतर आए। जिला विपणन कार्यालय पूरी तरह से सूना रहा वहीं आज कर्मचारियों के बाहर निकल जाने के चलते कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। जिला विपणन संघ में कई वर्षों से बड़ी संख्या में कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं।

...वर्ग के पूर्वजों की अस्थियों को कहीं और डाल दिया गया। इसी गाँव के प्राथमिक व मिडिल स्कूल ...

...ग्राम अमगांव के ग्रामीणों ने बताया कि एसईसीएल ने अब तक बसाहट के लिये जमीन उपलब्ध नहीं कराया

ग्रामीण व्यापारियों को स्वा...

जगदलपुर (एजेंसी)। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने शासन व बैंक माध्यम व्यवसायियों को स्वाइप ... मशीन लगाने प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बैंक कर्मी ...

आदिम...नवभारत... 04/01/2017

खोदने का कार्य आज भी धड़ल्ले से जारी

...र बीच सड़क में सीवरेज के ...ाई कार्य किया जा रहा है ...म्बर के लिए खोदाई किया है। इसके चलते मार्ग से ...ले चार पहिया, दो पहिया ...जाम लग रही है। शहर में ... पिछले कई वर्षों से सीवरेज कार्य के लिए गली, चौक-चौराहों में खोदाई कार्य किया जा रहा है, जो कि आज तक खत्म नहीं हो रहा है।

...(एयरकूल) में
...फोन 222358
...व्य शुभारंभ
...(एयरकूल) में
...न नं. 222656
...होे
...पड़्या, रजनी दुग्गल

क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बैंक कालोनी, आईटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर (छ.ग.)
लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसईसीएल, भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं सम्पापुर, तह. प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसवारकला एवं चौरा, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। इस के संबंध में लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कलेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-परसवारकला, चौरा एवं कुप्पी, तह. राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, आईटीआई के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, आई.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर

(951-55)

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/डॉ. भी.अ.चिकि./स्था./20474 — रायपुर, दिनांक 31.12.2016

// सूचना //

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में कार्यरत निम्नलिखित स्टाफ नर्सों द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के लंबे समय से आज दिनांक तक अनुपस्थित है जिसके चिकित्सालय का कार्य प्रभावित हो रहा है उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण नियम) नियम 1965 के विरुद्ध है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम व पद	पता	नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक एवं कार्यभार ग्रहण दिनांक	कार्य पर अनुपस्थिति दिनांक से दिनांक तक	कार्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट से प्रेषित पत्र क्रमांक/दिनांक	रिमार्क
1.	कु. नेहा जैन टोप्पो, स्टाफ नर्स	पिता श्री नार्बेर्ट टोप्पो, पता-जेमना टिर्की, रिंगरोड नमनाकला, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन 497001	क्रमांक/डॉ.भी.अ.चिकि./स्था./12/1136 रायपुर, दिनांक 27.12.2012 कार्यभार ग्रहण तिथि 05.01.2013	दिनांक 02.01.2016 से लगातार आज दिनांक तक अनुपस्थित है।	1. कार्यालय के पत्र क्रमांक 4816 दिनांक 11.03.2016 2. कार्यालय के पत्र क्रमांक 8145 दिनांक 24.05.2016	परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमित किया गया है।
2.	कु. श्रुति बारिक स्टाफ नर्स	पिता श्री संपत लाल बारिक पता-क्वा. नं. एम/616, विकास नगर, एसईसीएल, कुसमुण्डा पोस्ट कुसमुण्डा, कालरी कोरबा (छ.ग.) पिन 495454	क्रमांक/डॉ.भी.अ.चिकि./स्था./12/1171 रायपुर, दिनांक 27.12.2012 कार्यभार ग्रहण तिथि 15.01.2013	दिनांक 21.05.2015 से लगातार आज दिनांक तक अनुपस्थित है।	1. कार्यालय के पत्र क्रमांक 13910 दिनांक 01.10.2015 2. कार्यालय के पत्र क्रमांक 8145 दिनांक 07.12.2015 3. कार्यालय के पत्र क्रमांक 14460 दिनांक 09.09.2016	परिवीक्षा अवधि में है।
3	कु. अंजलि एस. माणिकर, स्टाफ नर्स	पिता श्री सोमनाथ एस. माणिकर पता-छ.ग. टायरवर्क्स भानुप्रतापपुर पेट्रोल पंप, जिला कांकेर (छ.ग.) पिन-494669	क्रमांक/डॉ.भी.अ.चिकि./स्था./12/1110 रायपुर, दिनांक 27.12.2012 कार्यभार ग्रहण तिथि 02.01.2013	दिनांक 11.03.2016 से लगातार आज दिनांक तक अनुपस्थित है।	1. कार्यालय के पत्र क्रमांक - 8149 दिनांक 11.03.2016 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था जिसका जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त।	परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमित किया गया है।
4	कु. जिशा पोहन्नान नर्स	पिता श्री पी.पी. पोहन्नान, पता-क्वार्टर नं. डी 90 हाउसिंग बोर्ड कालोनी बालको कोरबा (छ.ग.) पिन-495684	क्रमांक/डॉ. भी.अ.चिकि./स्था./12/1125 रायपुर, दिनांक 27.12.2012 कार्यभार ग्रहण तिथि 05.01.2013	दिनांक 02.05.2014 से लगातार आज दिनांक तक अनुपस्थित है।	1. कार्यालय के पत्र क्रमांक 1603 दिनांक 28.01.2015 टीप :- स्पीडपोस्ट वापस आया	परिवीक्षा अवधि में है।

अतः उक्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपने कार्य पर हाजिर होवें अन्यथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण, अपील नियम 1966 के तहत जान बूझकर अनुपस्थित कर नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय
रायपुर (छ.ग.)

जी - 30795/1

संलग्नक-3 (1.)

सेवा में,

श्री मान कलेक्टर महोदय

कार्यालय बलरामपुर जिला बलरामपुर छ०ग०

विषय - बटवारे से प्राप्त भूमि दूसरे के नाम पर दर्ज होने बाबत

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख निम्न बिन्दुओ पर आधारित है।

1- मैं मान्हो पति स्व रामकेवल ग्राम चौरा (नावापारा) पो० नरसिंहपुर थाना व तह० राजपुर जिला बलरामपुर छ०ग० की मूल निवासी हूं।

2- मेरे पति स्व रामकेवल को 12 एकड़ भूमि बटवारे के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था जिसमे से एक प्लाट भूमि जिसका खसरा नं० 894/1 रकबा 0.366 हे० भूमि मेरे पति को प्राप्त हुआ था तथा एक प्लाट जिसका खसरा नं० 894/2 रकबा 0.326 हे० मेरे पति के चचेरा भाई चैतराम व परमेश्वर को दिया गया था

3- उक्त भूमि को हम लोग बटवारे से लेकर आज तक काबीज है व हमारी आजीविका इसी भूमि को कमा करके चलती है।

4- उक्त भूमि मेरे जेठ पुत्र (ससुर के पुत्र) पितम्बर / भगत के नाम से दर्ज है। तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री रीता / बैजनाथ के नाम से दर्ज है

5- उक्त भूमि का एक तिहाई का हिस्सा मेरे पति के नाम से दर्ज है जिसे फर्जी बताया जा रहा है।

6- उक्त भूमि को SECL गरबाघा द्वारा अधिग्रहित किया जाना है

अतः श्री मान जी से निवेदन है की उक्त भूमि विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए तथा इस भूमि को मेरे पति के रकबे मे दर्ज की जाये।

संलग्न दस्तावेज की छायाप्रति

सर्वे सेटेल मेन्ट

नं० 1 पितम्बर / भगत

नं० 1 चैतराम / परमेश्वर / लालसाय

पट्टा से अर्जित प्लाट नं० की छायाप्रति

पंचायत द्वारा दिया गया पंचनामा

रीता व गांव ... द्वारा की दिया गया ...

भवदीय

मान्हो W/o स्व रामकेवल

ग्राम - चौरा (नावापारा)

(stamp) ... 10/1/17

10/1/17

पंचनामा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हम सभी पंच गवाह ग्राम चौरा (नावापारा) पो० नरसिंहपुर, थाना व तह० राजपुर जिला बलरामपुर रमानुजगंज छ०ग० के मूल निवासी हैं हम साक्ष्य पूर्वक बयान करते हैं कि स्व. रामकेवल आ० नैन साय व चैता राम आ० लाल साय परमेश्वर आ० लालसाय के बिच भूमि का बटवारा निम्न प्रकार से हुआ था।

कुल रकबा 1.81 (एक एकड़ इक्यासी डी.मी.)

0.386 — रामकेवल / नैनसाय

0.336 हे. — चैताराम / लाल साय, परमेश्वर / लालसाय

उपरोक्त भूमि ग्राम चौरा के लबाडाड जिसका खसरा नं० 866 व रकबा 1.81 (एक एकड़ इक्यासी डी०मी०) है तथा जो वर्तमान पटवारी हल्का नं० 19 में स्थित है।

उक्त भूमि ये तीनो को भूमि बटवारा के उपरान्त प्राप्त हुआ था तथा वर्तमान में ये ही तीनो काबिज हैं कमा खा रहे हैं। जो हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

साक्ष्य गवाह :-

1) अमरसाय — (हस्ताक्षर)
2) आसन राम — आसन
3) हंसलाल — हंसलाल
4) राजेश — राजेश

सोनसाय
सरपंच
ग्राम पंचायत-चौरा
जनपद पंचायत-राजपुर
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

15/4/2017

10/4/17

(11)

विषय - जगन्नाथपुर खुली खदान कोयला परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु।

महाशय,

हम सभी ग्राम चौरा, जिला-बलरामपुर के निवासी हैं। हम लोगों की जमीन जगन्नाथपुर ओपेन कास्ट परियोजना एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है जिसमें हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है।

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी। तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र चालू की जाए हमें शीघ्र नौकरी दिया जाय।

प्रार्थी गण

(कार्यालय ग्राम पंचायत ... क्रमांक ... दि. 10.4.17 ... बलरामपुर (छ.ग.))

1. तिहानी
2. इन्द्राशी
3. गोबिन
4. मनबोध
5. फुलबसिया
6. मनोज
7. मुनी बाई
8. सुमन
9. मानो
10. कोलकुंवर
11. अमरिता
मुलीया

हीरापुर

अंगू. तिहानी

अंगू. इन्द्राशी

गोबिन

मनबोध

अंगू. मुनी बाई

सुमनकुमार मनोज

मानो

सुमता

कोलकुंवर

विषय :- जगन्नाथपुर खुली खदान कोयला परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम चौरा, जिला बलरामपुर के निवासी हैं। हम लोगों के जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। जिसकी हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है।

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगा। तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र चालू की जाये और हमें नौकरी दिया जाये।

प्रार्थी गण

नाम	हस्ताक्षर
(1) चुन्नी लाल	चुन्नीलाल
(2) मुन्नी	(अंगूठा) नि. मुन्नी
बाबूलाल	बाबूलाल
(3) धानमुनी	धानमुनी
(4) दिनेश्वर	[illegible]
कोन्दीया	(अंगूठा) नि. कोन्दीया
(5) सलमेन	Salmen
(6) सिमोन	सिमोन
(7)	
(8) मगन	(अंगूठा) नि. मगन
(9)	
(10) बालेन लकड़ा	बालेन लकड़ा

जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम- पीढ़ी, जिला- बलरामपुर के निवासी हैं, हम सभी लोगों की जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस०ई०सी०एल द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है। जिसमें हम लोगों ने सहमति से भूमि SECL को दिया है,

खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र चालू की जाय और हमें शीघ्र नौकरी दिया जाये,

10/4/17

प्रार्थीगण

नाम	हस्ताक्षर
1) बिन्दु	बिन्दु
2) उमेश	उमेश
3) देवेन्द्र	(हस्ताक्षर)
4) रामनाथ	रामनाथ
5) हरदेव	हरदेवराम
6) रनफतिया	रनपतिया
7) सुशीला	सुशीला
8) चेतई	केकेयी
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

(14)

विषय: जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

सहमति पत्र,

हम सभी ग्राम चीरा, जिला- बलरामपुर के निवासी हैं। हम सभी लोगों की भूमि जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है जिसमें हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है।

खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी। तथा आस-पास ग्राम वासी भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। अतः हम सभी अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र चालू की जाये और हमें शीघ्र नौकरी दिया जाये।

1/3/17

प्रार्थी गण

नाम	हस्ताक्षर
1 विगन राम	विगनराम
2 गुरुदेव	गुरुदेव
3 विजय	विजय
4 कपिल देव	कपिलदेव
5 सिजय	सिजय
6 सहदेव	सहदेव
7 बन्धू राम	नि. बन्धू राम
8 लेहडू राम	लेहडू राम
9 धनिन्दर	धनिन्दर
10 अविन्द	अविन्द
11 भुपाल लाल	Shyama Lal
12 शान्ती	शान्ती
13 फूल कुमारी	नि. फूल कुमारी

1 बीरबल	बीरबल
मुन्नू लाल	आनि. मुन्नू लाल
राजकुमारी	आनि. राजकुमारी
उगान साय	उगनसाय
तिजो	तीजो
दिपसाय	दिपसाय
बिरूज राम	बिरजराम
रवि कुमार	रवि कुमार
तिलासो	आनि. तिलासो
दईया	आनि. दईया
आगार साय	आगार
5 संगिता	संगीता
रूपामपति	Rupmati
7 प्रेमसाय	आनि. प्रेमसाय
3 कृष्णा टोप्पो	[illegible]
9 प्रतिमा टोप्पो	Pratima toppo
0 बिसफतिया	आनि. बिशफतिया
1 मरथा टोप्पो	आनि. मारथा
2 पवित्रा टोप्पो	[illegible]ती
3 सिता	सीता
4 मनेसरी	मनेश्वरी
5 बिरबम राम	आनि. बिरबम
6 उर्मीला	आनि. उर्मीला

(15)

विषय:- जगन्नाथपुर शुभी खदान कोयला परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु।

महाशय,

हम सभी ग्राम चौरा, जिला- बलरामपुर के निवासी हैं। हम लोगों का जमीन जगन्नाथपुर शुभी खदान परियोजना एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। जिससे हम लोगों से लहलहाती हरी भूमि हड़प ले लिया है,

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से प्रभावित होगी। तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।

अतः हम सभी अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र चालू की जाये और हमें नौकरी दी जाय।

10/2/17

प्रार्थी गण

नाम	हस्ताक्षर
① नवलसाय	हीरा कुमार नवलसाय
② पुनम	पुनम
③ बैरि	नि. बैरी
④ सुशिला	सुशिला
⑤ चन्द्रमनी	नि. चन्द्रमनी
⑥ सोभन राम	सोभन राम
⑦ सुशिला	सुशील
⑧ लक्षी	नि. लक्षी
⑨ अजलि	ममता
⑩ ममता	नि. अजलि
⑪ बसंति	नि. बसंति
⑫	

(16)

सेवा में,

श्रीमान् महाप्रबंधक महोदय,

जगन्नाथपुर ओ.सी.पी. (महान-3)

जिला- बलरामपुर छ0ग0

विषय:- आवेदक को मुआवजा एवं नियमानुसार नौकरी प्रदाय किये जाने बाबत् आवेदन पत्र ।

महाशय,

आवेदक का निम्न कण्डिकावार निवेदन प्रस्तुत है :--

(1)- यह कि, आवेदक ग्राम चौरा का गरीब परिवार का निवासी है, जो किसी प्रकार से बनी मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है ।

(2)- यह कि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम चौरा मे स्थित है जिसका खसरा नं0-690/8,692,693/2,693/9,702/65,769/2, रकबा-क्रमशः 0.036,0.053, 0.020,0.068,0.121, 0.121 हे0 स्थित है। जिसको शासन /एस.सी.सी.एल.के द्वारा अधिग्रहित करते हुये अपने कब्जे मे लेते हुये भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है ।

(3)- यह कि, माननीय महोदय,के रिकार्ड मे 692,693/2,769/2, रकबा- 0.053,0.020, 0.121, को बताया जा रहा है ,तथा शेष 03 प्लाट को ओपेन कास्ट खदान के अन्तर्गत नही बताया जा रहा है.जिसका क्रमांक- 690/8,693/9,एवं 702/65 है ।

(4)- यह कि, आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की कुल 06 प्लाट को अधिग्रहित कर लिया गया है जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा कण्डिका -01 मे दिया गया है । जिसका कुल रकबा - 0.419 हे0 है । जो नौकरी पाने के लिए नियमानुसार प्राप्त है ।

..2//

पवन राम

(5)- यह कि, आवेदक के द्वारा तहसीलदार राजपुर के समक्ष उपस्थित होकर के जानकारी चाहते हुये रिकार्ड की मांग किया गया जिससे तहसीलदार राजपुर के द्वारा जिस रिकार्ड को आपके यहाँ भेजा गया है, उसका क्रमांक-690/8 एवं 693/9, एवं 702/65 को आपके कार्यालय मे अकृषित अधिग्रहित भूमि की सूचना दी गयी है, परन्तु आपके कार्यालय मे उपरोक्त तीनो प्लाटे मुआवजा एवं नौकरी हेतु दर्ज नही की गयी है, जिसका दर्ज किया जाना अति आवश्यक है । अन्यथा आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं व नाना प्रकार के विवादो मे उलझ जावेगा यदि आवेदक को विवादो मे उलझना पडेगा, तो उसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी । एवं उस पर उत्पादित खर्चे की भी देनदार आपहोगे ।

(6)- यह कि, आवेदक के द्वारा दस्तावेजो के साथ आपके कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उसमे से तहसीलदार राजपुर के लिस्ट की दो प्रति एवं खसरा, बी-1 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है । जिससे आवेदक के प्रकरण का निराकरण सुविधाजनक तरीके से हो सके तथा आवेदक के आवेदन पर जो कार्यवाही होती है, उसकी सूचना भी आवेदक को अविलम्ब प्रदाय करने की कार्यवाही भी किया जाना आपके द्वारा सुनिश्चित किया जा सके । जिस हेतु आवेदक आपसे सविनय अनुरोध करता है ।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक के आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये आवेदक के आवेदन पर लिये गये निर्णय/कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराने की कृपा की जावे ।

पवन राम

दिनांक- 21/11/2016,

हO- आवेदक ·
पवन राम आO रामबरन,
जाति- कुम्हार, निवासीग्राम-
चौरा, तहसील- राजपुर,
जिला- बलरामपुर छOगO.

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय,
बलरामपुर -रामानुजगंज छ.ग.
02. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
राजपुर जिला- बलरामपुर छ.ग. को
सादर सूचनार्थ ।

पवन राम

24

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय

जिला बलरामपुर–रा0गंज (छ0ग0)

विषयः– महान–3 (एस0सी0सी0एल0) के द्वारा जमीन का मुआवजा नहीं मिलने बावत्।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि हम ग्राम वासी ग्राम–चौरा, पो0–नरसिंहपुर, तह0–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा0गंज (छ0ग0) के निवासी हैं। महोदय हमारे क्षेत्र में भटगांव एस0सी0सी0एल के द्वारा कोयला खदान खोला जा रहा है। कोयले खदान के कुछ प्लॉट में हमारा घर, जमीन सब फंस जा रहा है। उनके द्वारा हम लोगों को घर का मुआवजा तो दिया जा रहा है, लेकिन जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उस प्लॉट का नक्शा नहीं कटा है, क्योंकि पटवारी महोदय के द्वारा नक्शा काट कर एस0सी0सी0एल को नहीं दिया गया है। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि जिन ग्रामवासीयों का घर, जमीन फंस रहा है उन्हें घर, जमीन का मुआवजा के साथ–साथ नौकरी भी दिलवाने की कृपा करें।

जिन हितग्राहियों का मकान उस प्लॉट में फंस रहा है उनका विवरण निम्नलिखित है:–

1. देवनारायण आ0 शिवभजन, जाति गोंड़ उम्र 55 वर्ष, ख0नं0 200/14, रकबा 0.607 हे0
2. विश्वनाथ आ0 राम, उम्र 40 वर्ष, जाति पनिका, ख0नं0 200/54, रकबा 0.405 हे0
   ख0नं0 200/51 रकबा 0.227 हे0
3. रामजीत आ0 दिलवर, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड़, ख0नं0 200/3 रकबा 0.867 हे0
   ख0नं0 200/9 रकबा 0.064 हे0
   ख0नं0 200/12 रकबा 0.118 हे0
   ख0नं0 200/21 रकबा 0.469 हे0
4. नन्दा आ0 दिलवर, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड़ ख0नं0 200/46 रकबा 0.866 हे0
   ख0नं0 200/47 रकबा 0.065 हे0
   ख0नं0 200/48 रकबा 0.117 हे0
   ख0नं0 200/49 रकबा 0.469 हे0
5. सुखराम आ0 गिरधारी उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड़ ख0नं0 200/20 रकबा 0.445 हे0

3308
10/2/2017
14-03-16
आवक लिपिक
कलेक्टोरेट
बलरामपुर–रा0गंज (छ.ग.)

6. रामनाथ आ0 धरमसाय, उम्र 40वर्ष, जाति उरांव खननं0 200/45 रकबा 0.202 हे0

7. लालमनी देवी पति ननकु प्रजापति, उम्र 40, जाति कुम्हार ख0नं0 200/42 रकबा0.202हे0

ख0नं0 200/50 रकबा 0.344 हे0

8. अशोक व सन्तोष आ0पवन राम उम्र 40 व 35, जाति कुम्हार ख0नं0 200/52 रकबा0.203

ख0नं0 200/53 रकबा0.061

9. देवनारायण आ0 शिवभंजन उम्र 55, जाति गोंड़, ख0नं0 150/11 रकबा 0.101

यह क्रमशः प्लॉट नं0 200 को जांच कर नक्शा कटवाकर एस0सी0सी0एल में प्रस्तुत कराते हुए हम हितग्राहियों को नौकरी व मुआवजा दिलवाने की महान कृपा करें।

दिनांक 14.09.2016

आवेदक
ग्रामवासी

संलग्नः— सभी हितग्राहियों का खसरा व बी–1 की छायाप्रति संलग्न है।

(26)

विषय- जगन्नाथपुर खुली खदान कोयला परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु।

10/4/17

महाशय,

हम सभी ग्राम चौरा, जिला - बलरामपुर के निवासी हैं। हमलोगो का जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान कोयला परियोजना एस० ई०सी०एल द्वारा अधिग्रहित की जा रही है जिसमें हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है।

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी अनुरोध करते है कि यह खदान शीघ्र चालू की जाय और हमें नौकरी दिया जाये।

प्रार्थी गण

नाम	हस्ताक्षर
(1) नन्दकेश्वर पनिका	नन्दकेश्वर
(2) बिगनराम	बिगन
(3) देवलाल सिंह	देवलाल
(4) राम कुमार सिंह	राम कुमार
(5) गोपाल सिंह	गोपालसिंह
(6) हितलेश यादव	[signature]
(7) सुनील यादव	सुनिल यादव
(8) विजय सिंह	विजय
(9) चमरू राम	चमरू
(10) सचान राम	सचन

सेवा में

खान प्रबंधक महोदय
एस० ई० सी० एल भटगाँव क्षेत्र

विषय :- मुआवजा वितरण हेतु आवेदन पत्र

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि
मुआवजा वितरण, कुँआ, तलाब, पेड़, जमीन का मुआवजा सब एक साथ वितरण किया जाए और नौकरी भी एक साथ दिया जाए, नौकरी को निश्चित समय के आधार पर कितना डिसमिल, एवं कितना एकड़ में दिया जाए, उसकी जानकारी हम सबको तत्काल प्रदान करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर

छबीलाल

शंकर यादव

विद्यासागर शुक्ला वार्ड पंच

जवाहीर

प्रार्थी

शंकर यादव पि० कृष्णा
ग्राम चौरा (बड़कापारा)

10/11/17

(28)

सेवा में
श्रीमान कलेक्टर महोदय जी
O.C.M. जगन्नाथपुर कैम्प चौढ़ा

विषय- संपूर्ण मुआवजा व नौकरी श्रेणि में पात्रता हेतु।

महोदय निवेदन है कि मेरा खसरा क्र० 903/6 रकबा 0.404 हे० पर मुझे 0.209 का मुआवजा मिल गया है बाकी रकबा 0.195 का नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे संपूर्ण रकबा का मुआवजा व नौकरी का पात्रता दिलाने का महान कृपा करें।

पूर्व में SECL में आवेदन संलग्न किया जा चुका है।

प्रार्थी
प्रकाश कुमार ...
ग्राम चौढ़ा
दि. 2/10/16

10/10/17

कार्यालय ... 10/10/17

(21)

सेवा मे,

श्रीमान कलेक्टर महोदयजी
O.C.M. जगन्नाथपुर कैम्प चौरा

विषय - मुआवजा व नौकरी मान्यता दिलाने बाबत

महोदय निवेदन है कि मेरा खसरा नं 883/7 रकबा 0.142 है जिसका मुआवजा मुझे प्राप्त नही हुआ है मुआवजा का फार्म भर के जमा कर चुका हूँ। जिसका विवरण A.C.C.L के रिकार्ड मे दर्ज नही है जिसका A.C.C.L द्वारा पटवारी, तहसीलदार से सत्यापन करा लिया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे मुआवजा व नौकरी दिलाने का महान कष्ट करे।

पूर्व मे SECL मे आवेदन दिया जा चुका है।

प्रार्थी
छविनाथ गुप्ता
ग्राम - चौरा

01/2/17

01/2/17

प्रति

लोक सुनवाई
एस. ई. सी. एल भटगांव क्षेत्र

विषय :- महान 2 में जमीन का पैकज के सम्बन्ध में

महोदय

विषयान्तर्गत लेख है कि मैं राजेश कुमार पिता श्री बहाल राम का जमीन चौरा में स्थित था। मेरे द्वारा नवम्बर 2015 साल भर पहले सम्बंधित कर्मचारी के पास पैकज हेतु फार्म जमा किया गया है किन्तु आज तारीख तक महान 2 का पैकज की राशि कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा महान-2 का पैकज की राशि भेजने की कृपा करें।

10/2/17

Rajesh
प्रार्थी
राजेश
पिता बहाल राम
ग्राम चाँची
पोस्ट बघिमा

दिनांक - 10-02-2017

(34)

प्रति,

लोक सुनवाई
एस ई सी एल भटगांव क्षेत्र

विषय - महान-2 में जमीन का पैकेज के सम्बन्ध में

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि मैं राजेन्द्र एक्का पिता भकचन्द का जमीन चौरा में स्थित था। मेरे द्वारा नवम्बर 2015 साल भर पहले सम्बंधित कर्मचारी के पास पैकेज हेतु फार्म जमा किया गया है। किन्तु आज तारीख तक महान-2 का पैकेज की राशि कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा महान-2 का पैकेज की राशि भेजने की कृपा करें।

दिनांक - 10.02.2017

(हस्ताक्षर)
प्रार्थी
राजेन्द्र एक्का
पिता भकचन्द
ग्राम- चौंकी
पो. ऑ. लटोरी

(मुहर) 10/2/17

(हस्ताक्षर) 10/2/17

(35)

जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

10/5/17

हम सभी ग्राम-पैगा, जिला- बलरामपुर के निवासी हैं, हम सभी लोगों की जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस०ई०सी०एल द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है। जिसको हम लोगों ने सहमति से जमीन-भूमि SECL को दिया है,

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र ही [illegible] और हमें शीघ्र नौकरी दिया जावे,

प्रार्थी गण

1) नन्हा राम सिंह	हस्ताक्षर नन्हा राम
2) बालकू उरांव	बालक उरांव
3) मदूक धारी	मदूकधारी
4) नन्द लाल	नन्दलाल
5) अनीता देवी	अनिता
6) श्रीमती अनिता देवी पति [illegible]	अनिता
7) सुबासो बाई	सुबासो
8) बसंती लकड़ा	बसंती
9) मनी कुमारी उरांव	मनी कुमारी उरांव

36

जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम- [illegible], जिला- बलरामपुर के निवासी हैं, हम सभी लोगों की जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस०ई०सी०एल द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है। जिसकी हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है,

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र ही खोले और इसे शीघ्र चालू किया जाये,

प्रार्थी गण

1. कैलाशो सिंह
2. श्रीमती परबतिया देवी
3. रमकेलिया देवी
4. सावित्री देवी सिंह
5.
6. सोन केलिया सिंह
7.
8. संतोषी मरावी
9. संतोषी पानिका
10. गीता बाई
11. संगीता देवी
12.
13.

(हस्ताक्षर/अंगूठा निशान: कैलाशो सिंह, परबतिया, रमकेलिया, सावित्री, सोन केलिया, संतोषी, संतोषी, गीताबाई, संगीता)

जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

10/4/17

हम सभी ग्राम - पेंडरी, जिला - बलरामपुर के निवासी हैं, हम सभी लोगों की जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस.ई.सी.एल द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है। जिसमें हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है,

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र शुरू की जाय और हमें शीघ्र नौकरी दिया जाये,

प्रार्थी गण

हस्ताक्षर

1) श्रीमती पार्वतिया यादव — नि. पार्वतिया
2) — " — झूलन बाई — नि. झूलन बाई
3) फूल कुंवर केरकेट्टा
4) श्रीमती बुन्ची — नि. बुन्ची
5) फूलकुंवर गोंड़ — फुलकुंवर
6) श्रीमती सविता — सविता
7) श्रीमती फूलबसिया — फूलबसिया
8) कलेश्वरी पनिका — नि. कलेश्वरी

ग्राम सुन्दरपारा (38)

सेवा में श्री मान कलेक्टर महोदय एवम
एस. ई. सी. एल. के जी. एम. एवम समस्त
कर्मचारी महोदय जी

विषय- मडान 2 में 5 कार्य कर्ता को नौकरी से निकालने बावत

महाशय
सविनय निवेदन यह है कि मडान 2 में जो 5 कार्य कर्ता को नौकरी से निकाला गया तथा उन 5 व्यक्तियों पर केस चल रहा है केश चलते 7-8 साल हो गये हम गरीबी गरीब का जीवन यापन करने के कार्य जमीन सिर्फ उतना था जो भटगाव का मडान 2 में चला गया है जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है।

मडान 2 में लगे मजदूर का नाम
1. मधु राम
2. आनंद
3. सुरेन्द्र
4. अर्जुन
5. नानसाय हैं।

अतः श्री मान महोदय जी निवेदन है कि इन 5 व्यक्तियों को नौकरी देने की महान कृपा करें।

दिनांक 10-2-2017

आवेदक
आनंद

39

लोक सुनवाई

प्रति
एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र अधिकारी
महोदय

विषय - चौरा प्रा.शाला, मा.शा., हाई स्कूल में पानी पिने कि समस्या के बावत -

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चौरा में प्रा.शाला, मा.शा., हाई स्कूल में बच्चों को पानी की समस्या है। जो कि बहुत ही दैनिय है।

अत: श्री मान जी से निवेदन है कि ग्राम चौरा स्कूल में पानी की समस्या को दूर करने कि कृपा करें

सुनीता
आवेदक

10/12

दिनांक - 10/02/2017

(40)

प्रति,

श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय,
जिला - बलरामपुर
(छ० ग०).

विषय :- रोजगार (S.E.C.L.), संसोधन संबंधित बाबत् ।

महोदय :-

सनम्र निवेदन है कि ग्राम - चौरा तहसील - राजपुर, जिला - बलरामपुर में उक्त भूमि S.E.C.L. प्रबंधन द्वारा अधिकृत है। जिसमें S.E.C.L प्रबंधन द्वारा नौकरी एवं मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। जिसमें संसोधन कर उक्त मुआवजा राशि एवं वंशावली के आधार पर परिवार के सदस्यों को आपसी समनवय स्थापित कर रोजगार (नौकरी) की पात्रता एवं 50 डिसमिल जमीन होने पर भी उक्त मुआवजा राशि एवं रोजगार दी जाने की कृपा एवं संसोधन करने क कृपा करें।

धन्यवाद ।

मो० नं० - 8878232523
9926856276

प्रार्थी
नाम - अमित यादव एवं
सुमित यादव,
अनुपम यादव
ग्राम - चौरा, तहसील -
राजपुर, जिला - बलरामपुर
(छ०ग०).

जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम- पीढ़ी, जिला - बलरामपुर के निवासी हैं, हम सभी लोगों की जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है। जिसमें हम लोगों ने सहमति से जमीन कृषि SECL को दिया है।

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र खोली जाये तथा हमें शीघ्र नौकरी दिया जाये।

प्रार्थी गण

हस्ताक्षर

1) भुवन बाई	[thumbprint]
2) रतनबिया	[thumbprint]
3) फूलची	[thumbprint]
4) तुलसी बाई	[thumbprint]
5)	[thumbprint]
) सुनीता	सुनीता
) अनसुइया	अनसुइया
) कुरमती	कुरमती
) तीजो	तीजो
कौशिला	कौशिला

(42)

जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम- पोड़ी, जिला- बलरामपुर के निवासी हैं, हम सभी लोगों की जमीन जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना एस० ई० सी० एल द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है। जिसमें हम लोगों ने सहमति से अपनी भूमि SECL को दिया है,

इस खदान के खुलने से हम सभी तथा हमारी आने वाली पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

अतः हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि खदान शीघ्र चालू की जाय नीति हेतु शीघ्र स्वीकृति दिया जाये,

प्रार्थी गण

हस्ताक्षर

1) साधे देवी सिंह — साधे
2) — बिराजो
3) श्रीमती सिरोजनी देवी — राजपति
4) श्रीमती राजपति देवी — सिंगारी
5) श्रीमती सिंगारी देवी — चमेली
6) चमेली — संगीता
7) पारवती — सविता
8) — जितन शाह
9) पारवती
10) फुलकुवर

सुभाष [illegible], [illegible] ग्राम [illegible],
बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.)

(43)

19/4/17

विषय - पर्यावरणीय के संबंध में

महोदय
विषयांतर्गत निवेदन है कि जब महान-2
परियोजना की प्रक्रिया चालू हो रहा था उस
समय हम लोगों को बहुत सारी विकास
की उम्मीद थी रोड पानी बिजली स्कूल
अस्पताल खुलेगा। लेकिन कुछ विकास नहीं
हुआ और महान-2 खदान खुला और अब
अंतिम चरण चल रहा है। फिर महान-3
परियोजना की प्रक्रिया चालू है हम लोगों
को ऐसे ही लुभावना बातें रखा जा रहा है।
पर्यावरण के संबंध में एस.ई.सी.एल. प्रबंधन
के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है सड़क में
चलना बहुत मुश्किल हो जाता है सड़क किनारे
के घर धूल से सराबोर हो जाता है पानी नहीं
आते है। इसलिए इन सब बातों पे ध्यान दिया
जाए। और जगन्नाथपुर का महान-3 परियो-
जना में भूमि अधिग्रहित हो रहा है सारी
जमीन सिंचित (दो फसली) है। और मुआवजा
एक फसली के हिसाब से दिया जा रहा है।
हमारा मांग है कि हमें दो फसली के हिसाब
से दिया जाए इस संबंध में एस.डी.एम. प्रतापपुर
को आवेदन दिया गया है।

कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) क्र. 23 दि. [illegible] 2017

एस॰ ई॰ सी॰ एल प्रबंधन और कलेक्टर
महोदय से मांग है कि महान-3 परियोजना
जगन्नाथपुर में जिसको 5 डिसमिल तथा
10 डिसमिल है उसको भी नौकरी दिया
जाए। एस ई॰ सी॰ एल से इस बात को
भी मांग रखते है कि जिसको 2008 के
बी॰-1 के अनुसार मुआवजा व नौकरी बना
है उसको नहीं दे रहे लेकिन अभी 2017
में अधिग्रहण किया जा रहा तो 2016-
17 के बी॰-1 के अनुसार भी नौकरी
दिया जाए।

दिनांक- 10-02-2017

नाम
शिवरतन
विश्वनाथ सिंह

आवेदक ग्राम ग्राम-जगन्नाथपुर
शिवरतन

भीखन
चन्द्रदीप
रजक

संलग्नक-4 (1)

G.M. Bhatgaon Area/N.O.(E) NO 137 DATE 24/02/17 SECL Bhatgaon

जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना के जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के अंतर्गत ग्राम चौरा मे सम्पन्न ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार, दिनांक 10/02/2017 को सम्पन्न पर्यावरणीय जन सुनवाई मे ग्रामीणो द्वारा उठाये गये आपत्ती एव इसका महा प्रबंधक द्वारा सुझायी गयी निराकरण:

क्र.	ग्रामीणो द्वारा दर्ज की गयी आपत्ति	महाप्रबंधक द्वारा दी गयी समाधान
1.	प्रस्तावना	महाप्रबंधक आर.के. निगम द्वारा सर्वप्रथम माननीय अपर कलेक्टर-बलरामपुर जिला, क्षेत्रिय अधिकारी- सी.ई.सी.बी. एव उपस्थित लोग तथा सभी ग्रामीणो का आभार व्यक्त किया गया एव इस बात पर विशेष बल दिया कि एस.ई.सी.एल. अपने जवाबदारी के प्रति प्रतिबद्ध है एव नियम के दायरे मे रहकर शत प्रतिशत पालन का आश्वासन देता है।
2	ग्रामीणो की जमीन के एवज मे नौकरी के सम्बंध मे।	एस.ई.सी.एल./कोल इंडिआ को भुमिगत खदान मे कामगारो की आवश्यकता है। जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना के अंतर्गत चार गाव है जिसमे आज दो गावो की जनसुनवाई हुयी है। प्रबंधन के ओर से नियम के अनुसार शत प्रतिशत नौकरी देने का आश्वासन देता हु।
3	महान II मे नौकरी एव मुआवजा के सम्बंध मे।	महान 2 परियोजना मे यदि कुछ कारणवश ग्रामीणो को पुरा मुआवजा एव / और नौकरी नही मिल पायी है तो उसे भी नियम के दायरे मे रहकर पुरा करेंगे।
4	नौकरी की पात्रता एव प्रावधान् के सम्बंध मे।	नौकरी / पात्रता का प्रावधान डी.आर.आर.सी. मे तय होता है जिसमे कलेक्टर साहब चेयरमैंन रहते है। कलेक्टर साहब स्वय नौकरी एव मुआवजा के सम्बंध मे चिंतित एव सक्रिय रहते है। डी.आर.आर.सी. बैठक मे ग्रामीणो एव शासकीय अधिकारीयो की उपस्थिती मे तह तक जाकर नियमानुसार नौकरी एव पात्रता संबंधी जो भी फैसला होगा उसे शत प्रतिशत पुरा करेंगे। नौकरी दो तरह से दी जाती है डिसैंडिंग या क्लबिंग जो कि डी.आर.आर.सी. मे तय होगा उसी के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
5	मुआवजा एव मुआबजा दर् के सम्बंध मे।	तीन कैटेगरी मे जमीन का मुआबजा तय होता है। बंजर, असिंचित एव सिंचित भुमि के लिये मुआबजा क्रमश: 6 लाख, 8 लाख एव 10 लाख प्रति एकड है। राज्य के राजस्व सम्बंधित अधिकारी द्वारा जमीन का प्रमाणीकरण के पश्चात भु-धारको को इसी आधार पर भुआबजा दिया जाता है। जमीन का कीमत / रेट का निर्धारण बीते वर्षो मे जमीन की विक्रय दर के आधार पर होता है। छतिसगढ राज्य का वर्तमान दर 6, 8 एव 10 लाख प्रति एकड है इसी के आधार पर एस.ई.सी.एल. मुआबजा देती है।
6	सडक, बिजली, पानी,	सी.एस.आर. के तहत जितनी भी फंड आयेगा हम उसे ज्यादा से ज्यादा

	जैसे आधारभुत सुविधाओ के सम्बंध मे।	प्रभावित ग्रामीणो के विकास एव कल्याण कार्यो मे लगायेंगे।
7	जल स्तर का नीचे होने के सम्बंध मे।	चुकि यह आम राय बनती जा रही है कि जब भी कोइ खदान खुलती है तो आस पास के भु-जल स्तर भी नीचे हो जाती है, इसके कारण का पता लगाने के लिये कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान एन.ई.ई.आर.आई. नागपुर, से पहली बार साईटिफिक स्टडि करवाने का निर्णय लिया, जिसकी लागत 40 लाख रुपये है। एन.ई.ई.आर.आई. नागपुर, के अध्ययनो के आधार पर दी जाने वाली अनुसंशायो / उपायो का पुर्ण रुप से पालन किया जायेगा, यह प्रबंधन की और से भरोसा दिलाया जाता है।
8	आस पास के गावो का विकास के सम्बंध मे।	सी.एस.आर. मद मे कुल लाभ के 2 प्रतिशत के दर से प्राप्त राशि निर्धारित है। इसके आधार पर पुरा फंड गावो मे विकास कार्यो के लिये उपयोग किया जायेगा। निर्धारित राशि से ज्यादा फंड लाने की भी कोशिश की जायेगी।
9	महिलाओ के नौकरी के सम्बंध मे।	जहा तक महिलाओ की नौकरी का सम्बंध है एस.ई.सी.एल. अब महिलाओ के नौकरी का प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है और जगन्नाथपुर परियोजना के लिये कम्पनी के नियमानुसार इस पर विचार किया जायेगा।
10	फारेस्ट लैंड मे रहने वाले भु-धारको को मुआबजा दिये जाने के सम्बंध मे।	फारेस्ट लैंड का मालिकाना हक वन विभाग को है इसलिये नौकरी की कोइ सम्भावना नही है, क्योकी नैकरी के लिये भुमि का मलिकाना हक होना जरुरी है। परंतु मुआबजा के लिये दी गयी वनभुमि या अन्य पट्टे के आधार पर विचार कर अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे।
11	महान 2 खदान मे ग्राम वासियो के विरुद्ध कोर्ट केस के सम्बंध मे।	महान 2 खदान मे किसी भी कारण से ऐसी कोइ स्थिती बनी कि कोर्ट मे केस चल रहा है। हम यह नहीं बोलेंगे की गलती गाव वालो की है बल्कि हमे उन्हे समझाकर इसका हल निकालना था, हम यह विश्वास दिलाते है कि हम इस विचार धारा के नही हैं कि आपस मे लडाई या दुश्मनी करके कोइ समस्या का निराकरण चाहते है। चुकि प्रकरण न्यायालयीन है, जो भी रास्ता न्यायालय के माध्यम से निकलेगा एव जो भी उचित होगा हम लोग निराकृत करने की कोशिश करेंगे।
12	महान 2 खदान मे नौकरी सम्बंधी एव नौकरी दिये जाने के नियम के सम्बंध मे।	महान 2 जब खदान खुली थी 516 एकड जमीन जमीन-मालीको से ली गयी थी। उस समय छतिसगढ आर एंड आर पालिसी के तहत ग्रामीणो को नौकरी दी गयी थी। छतिसगढ आर एंड आर पालिसी मे साफ लिखा है कि नौकरी की पात्रता वही रखते है जिनका जमीन का मालिकाना हक कम से कम 20 वर्ष से हो, जो कि छतीसगढ सरकार से निर्धारित था। इस संदर्भ मे छ.ग. सरकार के नुमाईदे, एस.ई.सी.एल. के नुमाईंदे एव

		ग्रामीणो की उपस्थिती मे एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमे ग्रामीणो की सहमति से छतिसगढ आर एंड आर पालिसी के तहत नौकरी देना तय हुआ था। कुल 182 नौकरी बनती थी जिसमे 157 नौकरी दिया गया एव बाकी नौकरी के लिये पात्रता नही था। कलेक्टर के समक्ष डी.आर.आर.सी. की बैठक मे इस पर विचार करके जो भी हल निकलकर आयेगा उसे हम पुरा करेंगे। एस.ई.सी.एल. को कोयला निकालने की आवश्यकता है और ग्रामीण हमे जमीन दे रही है, तो हम भी आपको नियम के अनुसार जमीन के बदले दी जाने वाली सभी सुविधाओ का ध्यान रखने के लिये प्रतिबद्ध है। कुछ लोगो की जमीन हमारे मुआबजे की लिस्ट मे छुटी हुयी है वो हमारा जिम्मेदारी है कि लिस्ट मे सभी का नाम जोडकर मुख्यालय से जल्द से जल्द स्वीकृत कराकर लाये। जहा तक नौकरी का सम्बंध है हम कलेक्टर साहब से बात करके डी.आर.आर.सी. की मिटिंग जल्दी करवा लेंगे एव डी.आर.आर.सी. की मिटिंग मे तय किये गये आधार के अनुसार नौकरी की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। हमारा सभी ग्राम वासियो से निवेदन है की जब भी प्रशासन द्वारा कैम्प लगाया जाता है तो आप लोग उसका भरपुर उपयोग करे एव सम्बंधित व आवश्यक कागजात को तत्काल तैयार कर ले जिससे आप सभी की नौकरी एव मुआबजा सम्बंधित फाईल तैयार करने मे कोई अडचन न हो, क्योंकि मुआबजा ही आपके जमीन के मालिकाना हक का आधार होता है। अब तक कुल प्रभावित परिवारो मे से 79 % लोग फार्म भरे एव उसमे से 70% लोगो को मुआबजा वितरण कर दिया गया है। कुल प्रभावित परिवारो मे 60 प्रतिशत लोगो को मुआबजा दे दिया गया है। हम चाहते है कि शत प्रतिशत लोग आवेदन करे अन्यथा किसी का नाम छुटने पर उन्हे नुकसान सहना पड सकता है जो हमारी कम्पनी नही चाहती है।
	धन्यवाद ज्ञापन	अंत मे महाप्रबंधक द्वारा माननीय अतिरिक्त कलेक्टर-बलरामपुर जिला, क्षेत्रिय अधिकारी- सी.ई.सी.बी. एव उपस्थित ग्रामीणो को कार्यक्रम मे भाग लेने के लिये धन्यबाद ज्ञापन किया गया।

23/2/17

महाप्रबंधक,
एस.ई.सी.एल.,भटगांव क्षेत्र।

महाप्रबंधक
General Manager
एस.ई.सी.एल.,भटगांव क्षेत्र
S.E.C.L. Bhatgaon Area

23/2/17

Area/N.O.(E) NO 138 DATE 24/2/17 SECL

Statement of General Manager, SECL, Bhatgaon Area against objections raised by Project affected villagers in the Public Consultation Process for Jagannathpur OCP, as per EIA Notification 2006, held on 10/02/2017 at High School Ground Choura, for village- Chaura and Paraswar under Balarampur-Ramanujganj district.

Sl No	Objection raised by villagers / Project affected persons.	Submission of General Manager, SECL Bhatgaon Area.
1.	Prelude by General Manager, SECL Bhatgaon Area.	I, on behalf of SECL, Bhatgaon Area, welcome respected Additional Collector, District- Balarampur-Ramanujganj, Regional Officer, CECB Ambikapur, all participating villagers and others. I further assure that the company is committed to fulfill 100 % of its responsibilities in all respects being within the precinct of applicable laws.
2	Employment of villagers in lieu of tenancy land.	SECL / Coal India offers employment due to need of manpower for its mines. There exist four villages within the acquired area of Jagannathpur OCP, out of which Public Hearing of two villages under district Balrampur-Ramanujganj is being conducted. Management assures to provide hundred percent employments as per the prevailing laws / guidelines.
3	In respect of employment and compensation of Mahan II OCM.	Affected villagers of Mahan II OCP, Bhatgaon Area, who were not, awarded employment and/or compensation due to any reason, management commits that they will be considered as per prevailing laws at the earliest convenience.
4	In respect of provision and eligibility of employment of project affected land owners.	Employment and its provision of eligibility are decided in the DRRC meeting chaired by District Collector or his representative. In respect of employment and compensation District Collector is showing his anxiety and interest in favor of the affected villager. DRRC meeting will be held in the presence of villagers, SECL delegates and state government authorities and whatever decision is taken in the meeting in respect of employment and eligibility, SECL management will fulfill cent percent within the precinct of existing laws / guidelines. Out of the two criteria of employment, Descending Order and Clubbing whichever is decided in the DRRC meeting, SECL management assures to initiate steps accordingly without delay.
5	In respect of compensation and rate of compensation to be awarded to the	Compensation of land is Rs. 6, 8 and 10 lakhs per acre for barren land, non-irrigated land and irrigated land respectively which is based on categorization as per state government. Following certification of category of land by concerned state officers, compensation is awarded

	villagers / project affected land owners.	to the land owners. The rate of land is based upon the selling price of land in the previous years, which is notified by the state authorities. The present rate of land which has been decided by state govt. is Rs. 6, 8 and 10 lakhs for barren, non-irrigated and irrigated land respectively on the basis of which SECL awards the compensations to the land owners.
6	Regarding basic amenities like road, electricity, drinking water etc.	Funds available under CRS head will be used for the development and welfare of most of the affected villages.
7	In respect of apprehension of receding of water table in mining area.	This is becoming a generalized opinion that the water table descends below the normal level wherever mining activity commences in any area. To explore the actual reason National Environmental Engineering and Research Institute (NEERI), Nagpur, a Government of India recognized Institution, has been engaged to study and suggest remedial measures in this regards wherein Rs. 40 Lakh is expected to be incurred for the study. This is being assured from the part of SECL management that the recommendations and remedies of NEERI based upon the study will be fulfilled religiously.
8	Regarding development of nearby villages.	Fund equivalent to 2% of total profit is earmarked for CSR activities. The entire fund generated will be used for development of villages. In addition to the fund generated on this head endeavor will be made to sanction additional funds for this purpose.
9	Regarding employment of women.	As far as the employment of female is concerned at present SECL is considering the employment proposal also and in the present case the employment of female will be dealt with as per the guidelines of SECL.
10	Employment and compensation for project affected persons who reside in forest land.	As far as eligibility for employment against land is concerned, there must be ownership of land in the name of affected person. There is no possibility for employment against forest land as the ownership of the land is in the name of Forest Department. In consultation with the state authorities, this will be tried to sort out the issue of compensation against government or forest land on the basis of Patta (Land tenure) / Vanbhumi or other patta.
11	Regarding court case of Mahan II OCM against villagers.	There has been some situation in Mahan II OCM under which a case has been registered in the court of law, though the company did not have any such motive. We do not hold responsible to any villagers but we apprehend that the case ought to have been solved by mediating bilateral talks. The case is now sub-judice so the solution of the case will be based upon the verdict of the court.

12	In respect of employment for project affected persons in Mahan II OCM.	Mahan II OCM was opened with 516 acre of tenancy land and it was decided to award employment under Chhattisgarh R&R Policy. It was distinctly mentioned in the CG R&R Policy that there must be not less than 20 years of ownership of the land in the name of the tenant for eligibility of employment. This was adopted with the consent of villagers and there was an agreement in this regard signed in the presence of State authorities, SECL Officers and Villagers. Against a total of 182 employments only 157 employments was awarded and there was no eligible villagers as per the CG R&R Policy. This will be put before the DRRC meeting to be conducted in the presence of District Collector or his representative and whatever solution is brought forward we will try to implement to our level best. SECL is committed to produce coal for which villagers sacrifice their tenancy land, so this is our moral duty to facilitate the affected land owners with all probable amenities and facilities for which we are committed being within the precinct of laws.
		Name of some land affected villagers have been missed and this is the responsibility of SECL management to incorporate those names for further sanction from SECL HQ which will be done at the earliest. As far as employment is concerned, SECL management ensures that the DRRC meeting will be conducted soon with the consent of the District Collector. Based upon the criteria of the DRRC meeting process for employment will be initiated. State authorities will conduct camps at villages for preparation of land and employment related papers and this is an earnest request from SECL management to co-operate & participate in the camp to prepare necessary documents so that there is no hindrance to prepare the file for compensation & employment of land owners, as the compensation is the base for ownership right. So far 79 % of affected villagers have given their consent for compensation out of which 70% villagers have been paid. In totality compensation have been paid to 60% villagers. We have intention that all project affected person apply for compensation so that no one has to suffer any loss in future.
	Conclusion and vote of thanks to the officials and villagers present thereat.	At the end I, on behalf of SECL, express my gratitude to respected Additional Collector, District- Balarampur-Ramanujganj, Regional Officer, CECB Ambikapur, all participating villagers and others.

महाप्रबंधक
General Manager
SECL, Bhatgaon Area
एस.ई.सी.एल., भटगांव क्षेत्र
S.E.C.L., Bhatgaon Area

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता–[illegible]0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10/02/2017 को स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–

उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	चन्द्रभान	चौरा	चन्द्रभान
2	राजपती सिंह	चौरा	[signature]
3	[illegible] कुमार [illegible]	केरता/चौरा	[signature]
4	जवाहर यादव	केरता	[signature]
5	सुरेश	केरता	सुरेश
6	सुरजन	केरता	सुरजन
7	राजेश कुजुर	चौरा	राजेश
8	राजेन्द्र एक्का	चौरा	[signature]
9	[illegible] राम	चौरा	[signature]
10	मोहर यादव	चौरा	मोहरयादव
11	[illegible]राम	चौरा	[signature]
12	चमर साय	चौरा	[signature]
13	राजेश्वर प्रसाद	चौरा	[signature]
14	राजू	चौरा	राजू सिंह
15	विश्राम राम	चौरा	[signature]
16	करम साय	चौरा	करमसाय
17	अमित यादव	चौरा	[signature]
18	धनेश्वर सिंह	चौरा	[signature]
19	सुनील सोनी	चौरा	[signature]
20	सुमित यादव	चौरा	[signature]
21	जवाहिर यादव	चौरा	जवाहीर
22	विद्यासागर गुप्ता	चौरा	[signature]
23	रामभरोस	चौरा	रामभरोस
24	चुन्नीलाल	चौरा (नेत्रिकाधिकार)	चुन्नीलाल

	सौविन्द	परसवार	
	रामसूरत	चौरा	रामसूरत
27	जगदीश	चौरा (चिरकाहीपारा)	
28	हरी राम	चौरा	
29	सुजीत राम	चौरा	सुजीत
30	अनिल राम	चौरा	अनिल
31	आगम राम	चौरा	साधु
32	साधु राम	चौरा	
33	निर्मल यादव	चौरा	निर्मलयादव
34	रामलाल रेकाम	चौरा	
35	मनोजकुमार	चौरा	[illegible]
36	सुखदेव	चौरा	सुखदेव
37	ललीत	चौरा	ललित
38	रामौतार	चौरा	रामौतार
39	सन्तोष	चौरा	[illegible]
40	सुखराज	चौरा	सुखराज
41	सुखलाल	चौरा	सुखलाल
42	नारायण	चौरा	नराचन
43	रतन सिंह	चौरा	
44	प्रेमसाय	चौरा	
45	जान्हू राम	परसवार	[illegible]
46	राम प्रसाद	धुमाडाड	
47	ननकी	चौरा	
48	रामधनी	चौरा	
49	राजपाल	चौरा (परसवार)	राज[illegible]
50	तेजराम	चौरा	तेज राम
51	शिवरस	चौरा	शिवरस

52	नन्की बाई	चउरा	नन्की
53	जया बाई	चउरा	[illegible]
54	सुनिता बाई	चउरा	सुनिता
55	फुलकुवंर	चउरा	फुलकुवंर
56	सवीता	चउरा	सविता
57	सुनिता	चउरा	सुनिता
58	अनुसुइया	चउरा	अनसुइया
59	करमाती	चउरा	करमाती
60	तीजो	चउरा	तीजो
61	कौशिला	चउरा	कौशिला
62	लखमेन बाई	चउरा	
63	चमेली बाई	चउरा	चमेली
64	संगीता	चउरा	संगीता
65	सविता	चउरा	सविता

66	जीतन बाई	चउरा	जीतन बाइ
67	पार्वती बाई	चउरा	
68	ललपतिया	चउरा	
69	फुलकुंवर	चउरा	
70	फुलन बाई	चउरा	
71	फुची बाई	चउरा	
72	तुलसी बाई	चउरा	
73	सोनामति	चउरा	
74	पचिया बाई	चउरा	
75	सोनकेलिया	चउरा	
76	धनियारो	चउरा	
77	फुली बाई	चउरा	
78	धनियारो बाई	चउरा	
79	फुलापती बाई	चउरा	
			फुलापती

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता–3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10/02/2017 को स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–

उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
80	भागीरथी जयसवाल	धरमपुर	[signature]
81	राकेश कुमार सोनी	अम्बिकापुर	[signature]
82	देवेन्द्र	चेउरा	[signature]
83	सुरेश गुप्ता	परसवार	[signature]
84	रमेश प्रसाद गुप्ता	पासवार	[signature]
85	शिव शंकर गुप्ता	परसवार	[signature]
86	कामता प्रसाद गुप्ता	केरता	[signature]
87	राजनाथ	अम्बिकापुर	राजनाथ
88	महेश कारिक	केरता	मेहरा कारिक
89	लालसाय	केरता	लालसाय
90	शैलेश गुप्ता	केरता	[signature]
91	सहदेव कारिक	केरता	[signature]
92	बिगन राम	चेउरा	बिगनराम
93	गोविन्द कारिक	केरता	[signature]
94	~~मंटो घोष~~ रामाशंकर जायसवाल	~~केरता~~ चेउरा	[signature]
95	मंटो घोष	केरता	[signature]
96	रामचरण	चेउरा	[thumb impression] रामचरण
97	ज्वाला प्रसाद	जगन्नाथपुर	[signature]
98	राजनाथ	जगन्नाथपुर	राजनाथ
99	चमन	परसवार	[signature]
100	राजेन्द्र प्रसाद	केरता	[signature]

101	सुनील सोनी	पेपापुर	सुनील सोनी
102	जसवंत कुमा	केरता	जसवंत कुमा
103	बीरबल	जगन्नाथपुर	बीरबल
104	दुर्गा लाल सेंगर	धर्मानाथपुर	[illegible]
105	शिवरतन मिश्र	धर्मानाथपुर	शिवरतन
106	विजय मिश्र	धर्मानाथपुर	विजय मिश्र
107	नारायण	केरता	नारायण
		कुन्दी	—
108	राजेश	कुन्दी	Rajesh
109	उमेश	विहारपुर	उमेश
110	सीताराम	चउरा	सीताराम
111	विजय यादव	चउरा	विजय
112	सम्पत	चउरा	
113	रामकुमार	चउरा	रामकुमार
114	मनोज कुमार	चउरा	[illegible]
115	रंजीत	कामतीकापुर	रंजीत
116	मोहर साय	गोविन्दपुर	मोहर साय
117	बुधराम	गोविन्दपुर	

118	बिशुन राम	चउरा	बिशुन राम
119	शियाराम	चउरा	[illegible]
120	सोहन सिंह	चउरा	[illegible]
121	सर्जुन	जगन्नाथपुर	सर्जुन
122	धर्मजीत	जगन्नाथपुर	धर्मजीत
123	संतोष प्रजापति	चउरा	[illegible]
124	विकेश सिंह	जगन्नाथपुर	[illegible]
125	विनोद सोनी	पंपापुर	विनोद सोनी
126	श्यामलाल यादव	चउरा	श्यामलाल
127	बाबूलाल	करवा	बाबूलाल
128	रामसरन	चउरा	रामसरन
129	देवराजक	चउरा	
130	प्रेमसाय	चउरा	प्रेमसाय
131	सहदेव	चउरा	सहदेवराम [illegible]
132	छुटना	चउरा	

133	सुदेश्वर	चउरा	सुदेश्वर
134	सोपना	चउरा	सोपना
135	शिव कुमारी	चउरा	शिवकुमारी
136	फूल कुमारी	चउरा	फूलकुमारी
137	मांजो बाई	चउरा	
138	फुलमतिया	चउरा	
139	इन्द्रासो	चउरा	
140	मुन्नी बाई	चउरा	
141	श्रीमति मानो	चउरा	
142	फुली बाई	चउरा	
143	राजो बाई	चउरा	
144	तिलासो बाई	चउरा	
145	श्रीमन बाई	चउरा	
146	पार्वती	चउरा	

147	तिलानी बाई	चउरा	
148	फुलबसिया	चउरा	
149	राजकुमारी	चउरा	
150	फुलबासो	चउरा	
151	दइयाबाई	चउरा	
152	बिरसपतिया	चउरा	
153	गिताबाई	चउरा	गीता
154	विधाबाई	चउरा	बिंध्याबाई
155	बिन्दु	चउरा	बिन्दु
156	सुमित्रा	चउरा	सुमित्रा
157	सुमित्राबाई	चउरा	
158	परमीला	चउरा	
159	समरीया	चउरा	सीमरिया
160	श्यामपती	चउरा	Syampati
161	मालती	चउरा	मालती

162	लक्ष्मनिया	चउरा	
163	ज्योति	चउरा	ज्योति
164	सरीता	चउरा	सरीता
165	शांती	चउरा	शांती
166	प्रमीला	चउरा	
167	सोनामति	चउरा	
168	कुन्ती बाई	चउरा	
169	लोकची बाई	चउरा	
170	चन्द्रमनि	चउरा	
171	गुलिया	चउरा	
172	धान मुनी	चउरा	धानमुनी
173	कौशिया	चउरा	
174	शिवकुमारी	चउरा	शिवकुमारी
175	फरहारी	चउरा	

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता–3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10/02/2017 को स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–

उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम	पता	
176	अमृत कुमार	ग्राम चौरा (चुनाझाड़)	[thumb impression]
177	आनंद आर्य	ग्राम चौरा (चिलकाहीपारा)	आनंद
178	छबीलाल	ग्राम चौरा (बड़काधारा)	[signature]
179	हिरा चन्द	ग्राम चौरा (बड़काधारा)	[signature]
180	बसन्तलाल	ग्राम चौरा	बसन्तलाल
181	इन्द्रनाथ	ग्राम चौरा खेड़वापारा	[signature]
182	रामकुमार	ग्राम चौरा	[signature]
183	जगदम्बा प्रसाद कुजूर	ग्राम केरता	[signature]
184	गुन्तुलाल	ग्राम चौरा	[thumb impression]
185	शिवशंकर गुप्ता	चौरा	[signature]
186	जगरनाथ कुजूर	केरता	[signature]
187	अनिल	चौरा	अनिल
188	उदय शंकर [illegible]	चौरा	[signature]
189	अनिल कुमार	चौरा	[signature]
190	मनोज टोप्पो	चौरा	[signature]
191	सुख[illegible]	चौरा	[signature]
192	वीरबल	चौरा	[signature]
193	सिमोन लकड़ा	चौरा	Simon
194	गुरुदेव	चौरा	गुरुदेव
195	माझीराम	चौरा	[thumb impression]
196	रामरतन	चौरा	रामरतन
197	नानसाय	चौरा	नानसाय
198	अनिल कुमार	चौरा	[signature]
199	मनबोध		मनबोध

200	विक्रम लखेड़ा	चौरा	विक्रम
201	गोविन्द	चौरा	
202	भुनेश्वर लखेड़ा	चौरा	भुनेश्वर गोविन्द
203	छोटकुंवर	चौरा	छोटकुंवर
204	सुमन लखेड़ा	चौरा	सुमन कुमार
205	शंकर यादव	चौरा	शंकर यादव
206	राजेश यादव	ग्राम केरला	[illegible]
207	नितेश यादव	ग्राम - केरला	Kitesh
208	ओमप्रकाश [illegible]	ग्राम - केरला	[illegible]
209	सुरजलाल	जगन्नाथपुर	सुरजलाल
210	दयाशंकर	"	दयाशंकर
211	नागनाथ कुंवर	चौरा	नागनाथ
212	भोला राम	चौरा	भोलाराम
213	जमुना	चौरा	जमुना
214	मनोसिंह	चौरा	मनोसिंह
215	पितांबर	चौरा	पितांबर
216	बुधलाल	चौरा	बुधलाल
217	[illegible]	चौरा	[illegible]
218	जोगेन्द लखेड़ा	चौरा चिटकाही पारा	
219	विजय	चौरा चिटकाही पारा	विजय
220	जगदेव प्रसाद	चौरा	जगदेवप्रसाद
221	प्रकाश उइके	प्रतापपुर (चौरा	[illegible]
222	कइलाराम	चौरा	कइलाराम
223	बृजमोहन	चौरा	[illegible]
224	मंगल	चौरा	
225	आलोक सोनी	प्रतापपुर	[illegible]
226	रामचन्द्र गुप्ता	प्रतापपुर	[illegible]
227	अशोक	चौरा	[illegible]

228	अमिट लाल	चौरा	अमीट लाल
229	चन्दन	चौरा	चन्दन
230	उमेश	चौरा	उमेश
231	रामजनम	चौरा	रामजनम
232	धरमसाय	चौरा	धरमसाय
233	झुरना	चौरा	झुरना
234	लालसाय	चौरा	लाल साय
235	शिवरती	जगन्नाथपुर	शिवरती
236	बाबन लकड़ा	चौरा	[illegible]
237	हरि टोप्पो	जगन्नाथपुर	[illegible]
238	हिरा टोप्पो	जगन्नाथपुर	हीरा टोप्पो
239	मुन्नी राम	चौरा	
240	अमरसाय	चौरा	
241	देवसाय	चौरा	देवसाय
242	परमेश्वर	चौरा	परमेश्वर
243	अकालू	चौरा	अकालू
244	बईगा	चौरा	बईगा
245	आगमराम	चौरा	
246	[illegible] लकड़ा	जगन्नाथपुर	[illegible]
247	[illegible]	चौरा (चिलकाडीपा)	[illegible]
248	कपिल देव	चौरा (चिलकाडीपा)	कपिलदेव
249	संजय कुमार	चौरा चिलकाडीपा	संजय
250	श्यामलाल कुमार	चौरा (चिलकाडीपारा)	Shyamlal
251	मनोज कुमार	चौरा (कडकपारा)	[illegible]
252	हेमाराकुर	पम्पापुर	[illegible]
253	महेश	चौरा	[illegible]
254	राकेश लकड़ा	चौरा	Rakesh

255	सोमन	छिटकाही पार	सोमन
256	मोहन	चौरा	मोहन
257	राम दुलारे	चौरा	रामदुलारे
258	लखन राम	चौरा	लखन
259	सुरेश लाल	चौरा	[illegible]
260	राम प्रसाद पाण्डेय	[illegible]	रामप्रसाद
261	लल्लू	छिटकाही पार	लल्लू
262	[illegible]	[illegible]	
263	[illegible]	छिटकाही पार	
264	[illegible]	चौरा	
265	[illegible]	चौरा	[illegible]

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह. –राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10/02/2017 को स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री बी.एस. उईके, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बलरामपुर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 10/02/2017 को स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में दोपहर 12:30 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 21.11.2016 एवं 24.11.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 07.12.2016 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बलरामपुर के पत्र दिनांक 21/12/2016 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 10/02/2017, समय–दोपहर 12:00 बजे, स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्रामपंचायत–चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 04.01.2017 को राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, हरिभूमि एवं स्थानीय समाचार पत्र अंबिकावाणी में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सर्व संबंधितों को सूचना प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला–बलरामपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, कार्यालय महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–बलरामपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवापारा, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत– परसवारकला, चौरा एवं दुप्पी तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.), कार्यालय डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री अजय कुमार सिंह, उपक्षेत्रीय प्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगावं क्षेत्र द्वारा परियोजना के सम्बंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :–

1. **श्री रामकिशुन, सरपंच, ग्रामपंचायत परसवारकला–** हमारे गांव में पानी, सड़क की समस्या है। प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था की जाय तथा गांव का विकास कार्य एस.ई.सी.एल. करवाये। हमारे गांव में क्या–क्या विकास के कार्य हुए हैं सभी की सूची चाहिए।
2. **श्री सोहन सिंह, ग्राम चौरा (बड़कापारा) –** हमारे बस्ती के सभी लोगों की जमीन खदान में जा रही है। उन लोगों को मूलभूत व्यवस्था, नौकरी, मुआवजा जल्दी मिलना चाहिए। शासन अपना काम करे, जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाय। पर्यावरण से गांव दूषित न हो उसका शुद्धीकरण करना होगा। वन अधिकार पट्टा वालो को भी नौकरी एवं रोजगार मिलना चाहिए। जिसका जमीन है, चाहे बेटा के नाम से हो या बेटी के नाम हो, उसको बी–1 के हिसाब से नौकरी की पात्रता होनी चाहिए। आपने 02 एकड़ की जमीन होने पर नौकरी देने का मापदण्ड रखा है। जिन किसानो की 50 डिसीमिल जमीन भी फंस रही है, उसको भी नौकरी देने का प्रावधान रखें। पब्लिक को सुख सुविधा मिले। परेशान न करें, वंचित न करें। पेड़ पौधो का भी उचित हक मिलना चाहिए। बड़कापारा बस्ती खदान क्षेत्र में है, मेरा कुंआ खदान की दगानी से ढह गया है। दगानी का पावर कम किया जाय, जिससे नुकसान न हो। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था किया जाय।
3. **श्री विक्की गुप्ता, ग्राम चौरा बड़कापारा –** महान–3 की प्रक्रिया का स्वागत है। खदान के आने से हमारे बलरामपुर जिले का भी नाम होगा। आज हमारे यहां रोड का बुरा हाल है। रोड में गाड़ी फंस जाती है। पुल पुलिया बनाये जाने की मांग रखता हूं। ब्लास्टिंग कम किया जाये, खदान क्षेत्रों के आसपास कुएं में पानी कम हो रहा है, हैण्ड पंप खराब हो गये है, जल स्तर कम हो गया है पानी की समस्या का समाधान किया जाये। कुछ लोगों का मुआवजा लंबित है। फार्म आदि

भर दिया गया है फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा की राशि सामान्य किया जाये। सिंचित असिंचित भूमि का मुआवजा सामान्य किया जाये, रोजगार की व्यवस्था करें। किसी का कम जमीन है, जितनी जमीन है उसी में रोजगार दिया जाये। जनवरी में नौकरी में उतारने कहा गया था, किंतु अभी तक नौकरी नहीं मिली है। एस.ई.सी.एल. के द्वारा दवाई की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। बरसात के समय निकलने में समस्या होती है। हमारे यहां से बस की सुविधा दी जाये, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े और अंबिकापुर जा सके। गांव की मूलभूत सुविधा, रोड लाईट लगाई जाये, जैसी कि भटगांव में रोड लाईट लगाई गयी है। स्कूल प्रांगण में हैण्डपंप की व्यवस्था की जाये। खेल मैदान का समतलीकरण कराया जाय।

4. **श्री धनेश्वर सिंह, ग्राम चौरा**– हमारी मांग है कि जिनकी जमीन कोल माईन में जा रही है। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको नौकरी दी जाय। नामांतरण मत मांगा जाय, मुआवजा सामान्य किया जाये, सभी पब्लिक को नौकरी दें। आप लोगों द्वारा 2005 का नामांतरण मांगा जाता है, कहां से दें ? नामांतरण भी नहीं मिल पा रहा है। हम सभी को भटगांव क्षेत्र में नौकरी दिया जाये तथा घटते कम मे दूसरी लिस्ट तत्काल बने और सभी के बीच में आये, सभी का फार्म भरा जाये। ब्लास्टिंग कम किया जाये, इस समस्या का समाधान करें, समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एस.ई.सी.एल. के विपक्ष में नहीं बोलना चाहता हूं।

5. **श्री ओमप्रकाश गुप्ता, केरता पंछी डांड**–महान 2 खुलने से रोड खराब हुई है। कई लोगों का जमीन के मुआवजा में नाम नहीं है, उसे ठीक कराया जाय। महान–3 खुलने पर और परेशानी बढ़ेगी, जिनकी जमीन नहीं है उनका नाम है और जिसकी जमीन है उसका नाम नहीं है। जमीन का सही नापी करवाकर मुआवजा जल्दी करवाया जाय, नौकरी का फार्म बहुत लोगों का भरवाया नहीं है, फार्म भराया जाये, ताकि जल्दी नौकरी मिले।

6. **श्री शंकर यादव, ग्राम चौरा**– महान–3 के मुआवजे का फार्म आधा भेजा गया है, पूरा भेजा जाय। जिसने फार्म भर दिये है, उसमें मुआवजा पूरा नहीं भेजे हैं, आधा भेजे है। जिसके पास 50 डिसीमिल जमीन है वो और अधिक जमीन कहां खोजने जायेगा ? उसको भी नौकरी भटगांव क्षेत्र में ही दिया जाये। ब्लास्टिंग का कोई माईबाप नहीं है, बाकी सब सही है।

7. **श्रीमती विदिया बाई, ग्राम चौरा**– साल भर हो गया मुआवजा का फार्म भर दिया है नौकरी नहीं मिली है। हम लोग गरीब है किसी का 50 डिसिमिल है किसी का एक एकड़ है, नौकरी मिलेगा कि नहीं बताया जाये ? यदि आप बोलेंगे कि नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग कहां जायेंगे।

8. **श्री अशोक प्रजापति, ग्राम चौरा**– हमारे पिता जी के नाम से एक एकड़ जमीन है। आधा एकड़ जमीन एस.ई.सी.एल. में गया है। आवेदन दिये एक साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरी समस्या दूर किया जाये।

9. **श्री विजय कुमार यादव, ग्राम चौरा**– हमारे जो भाई मांग कर रहे हैं उन पर विचार किया जाय। महान–2 से जो जमीन बची है, महान–3 में जोड़ा जाय। कम से कम जमीन का उचित मुआवजा दिया जाये। पात्रता वालों को भी नौकरी

महान 2 में नहीं मिला है। उसका भी निराकरण किया जाये। महान 3 में भी सबसे कम जमीन वालों को भी नौकरी दिया जाये।

10. **श्री देवेंद्र कुमार मानिकपुरी, ग्राम बड़कापारा**– जिनकी भी जमीन है उनका नाम नहीं जुडा है। नाम जोड़ा जाय तथा भटगांव क्षेत्र में ही एक साथ नौकरी दिया जाये, जितनी मांगे है उनको पूरा किया जाये।

11. **श्री चन्द्रभान, परसागुड़ी**– समरी पिता भगवानदास एवं सुखदेव आत्मज रामदीन मेरे सास–ससुर है। इनकी तीन लड़की है। लडकियों को बाप की जमीन में पूरा हक मिलना चाहिए तथा ससुर की देखरेख मैं करता हूँ। खदान में दो लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। सास ससुर की नौकरी हम दो लोगों को मिलना चाहिए।

12. **श्री राजेश प्रजापति, ग्राम चौरा**– मैने चार महीने पहले कलेक्टर महोदय, बलरामपुर को आवेदन दिया है, जिसमें लिखा था कि एस.ई.सी.एल. द्वारा खदान खोला जा रहा है। कोयले खदान के कुछ प्लॉट में हमारा घर, जमीन सब फंस जा रहा है। उनके द्वारा हम लोगों को घर का मुआवजा तो दिया जा रहा है, लेकिन जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उस प्लॉट का नक्शा नही कटा है, क्योंकि पटवारी महोदय के द्वारा नक्शा काट कर एस.ई.सी.एल. को नहीं दिया गया है। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि जिन ग्रामवासियों का घर, जमीन फंस रहा है उन्हें घर, जमीन का मुआवजा के साथ–साथ नौकरी भी दिलवाने की कृपा करें। जिन हतग्राहियों का मकान उस प्लॉट में फंस रहा है उनका विवरण निम्नलिखित है:–

1. देवनारायण आ0 शिवभंजन, जाति गोंड़ उम्र 55 वर्ष, ख0नं0 200/14, रकबा 0.607 हे0
2. विश्वनाथ आ0 राम, उम्र 40 वर्ष, जाति पनिका, ख0नं0 200/54, रकबा 0.405 हे0, ख0नं0 200/51 रकबा–0.227 हे0
3. रामजीत आ0 दिलवर, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड़, ख0नं0 200/3, रकबा 0.867 हे0, ख0नं0 200/9 रकबा–0.064 हे0, ख0नं0 200/12 रकबा–0.118 हे0, ख0नं0 200/21 रकबा–0.469 हे0,
4. नन्दा आ0 दिलवर, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड़, ख0नं0 200/46 रकबा–0.866 हे0, ख0नं0 200/47 रकबा–0.065 हे0, ख0नं0 200/48 रकबा–0.117 हे0, ख0नं0 200/49 रकबा–0.469 हे0,
5. सुखराम आ0 गिरधारी उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड़, ख0नं0 200/20 रकबा–0.445 हे0,
6. रामनाथ आ0 धरमसाय, उम्र 40 वर्ष, जाति उरांव, ख0नं0 200/45 रकबा–0.202 हे0,
7. लालमनी देवी पति ननकु प्रजापति, उम्र 40, जाति कुम्हार, ख0नं0 200/42 रकबा–0.202 हे0, ख0नं0 200/50 रकबा–0.344 हे0,
8. अशोक व सन्तोष आ0 पवन राम, उम्र 40 व 35, जाति कुम्हार ख0नं0 200/52 रकबा–0.203, ख0नं0 200/53 रकबा–0.061 हे0,
9. देवनारायण आ0 शिवभंजन उम्र 55, जाति गोंड़, ख0नं0 150/11 रकबा–0.101

अतः क्रमशः प्लॉट नं0 200 को जांच कर नक्शा कटवाकर एस.ई.सी.एल. में प्रस्तुत कराते हुए हम हितग्राहियों को नौकरी व मुआवजा दिलवाने की महान कृपा करें।

13. **श्री सुधराम सिंह, ग्राम चौरा**— हम दो भाई है। एक—एक भाई के तीन लड़के है, आप एक नौकरी देंगे, तो तीन लड़कों को कैसे बाटेंगे ? हम जमीन देने के लिये तैयार है, लेकिन हमे उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। महान 2 में 0.17 डिसिमिल का 25000 मुआवजा दिये हैं, जबकि यह ठीक नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री से बात करना पड़ेगा, कि आप निराकरण करेंगे ?

14. **श्री गंगा प्रसाद गुप्ता, ग्राम केरता**— 6 से 7 महीने से मुआवजा फार्म भरा गया है मुआवजा नहीं मिला है एस.ई.सी.एल. में 2.0 एकड़ भूमि पर एक नौकरी दिया जा रहा। अब नौकरी किसको दें ? दोनो बेटों को नौकरी दिया जाये।

15. **कुंवारी बिंदु, ग्राम चौरा (बड़कापारा)**— हमारी शादी हो गई है, दो बहने कुंवारी हैं, मुआवजा का फार्म भर चुकी हूं मुआवजा और नौकरी दोनो एक साथ दिया जाये।

16. **श्री सीताराम, ग्राम चौरा (बड़कापारा)**— मैं सभी जगह जमीन खोजा, जमीन का रेट बहुत बढ़ गया है। यहां मुआवजा 7—8 लाख मिला है। पैसा हम लोगों को ज्यादा नहीं मिला है। रायगढ़ में 10 लाख मुआवजा है, यहां कम मुआवजा मिल रहा है।

17. **श्री अशोक कुमार सोनी, ग्राम पंपापुर**— ग्राम पंपापुर का जमीन चौरा में है। चौरा के सरपंच जमीन वाले कागज में साईन नहीं कर रहे है, इसका समाधान किया जाये।

18. **श्री सुजीत, ग्राम चौरा**— महान 2 का अभी तक पैसा नही मिल पाया है। राजपुर में जाता हूं तो पटवारी एवं तहसीलदार घुमाते रहते हैं। किसी का नामांतरण एवं बी 1 नहीं बन पाता है, दिलाने का कष्ट करें।

19. **श्री विनोद सोनी, ग्राम पंपापुर**— महान 2 के प्रकरण का कब निराकरण होगा। मेरी 28 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। जमीन में मिट्टी डाल दिया गया है। पहली लिस्ट में आधा जमीन, दूसरी लिस्ट में आधे से कम एवं तीसरी लिस्ट में जमीन ही नहीं है। यह जमीन कहां गया, नाम तक गायब हो गया। आरक्षण लगाकर 3 एकड़ पर एक नौकरी दिया गया। चाहे आदिवासी हो या सामान्य हो जब जमीन के बदले नौकरी दी जा रही है, तो कैसा आरक्षण है। बकाया जमीन पर चार भाई हैं, तो चारों को नौकरी दी जाये। पुस्तैनी जमीन है हम चार भाई हैं। एस.ई.सी.एल. बोलती है कि जमीन का नामांतरण 2004 से पहले का होना चाहिए, जबकि जमीन पुस्तैनी है। कल सक्षम नहीं थे आज सक्षम है तथा पात्रता रखते हैं। चाहे नामांतरण आज हो या पहले, जब जमीन पुस्तैनी है तो लाभ मिलना चाहिए। पहले निराकरण करें यह जनहित में होगा।

20. **श्री बेतरू राम, ग्राम चौरा**— एस.ई.सी.एल. से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी 4 एकड़ जमीन जा रही है मेरे चार लड़के है। क्या प्रावधान है लिखित में दिया जाये, और बहन का महान 2 में जमीन गया है उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। नियम के बारे में भी बतायें।

21. **श्री सुमत कुमार, ग्राम चौरा–** एस.ई.सी.एल. की मुआवजा सूची में मेरे दादा जी का एक नाम है, मेरा नाम छूट गया था मेरा नाम भी जोड़ा जाये। जमीन का बंटवारा हुआ है मुझे मुआवजा एवं नौकरी दिया जाये। मेरी मम्मी का फार्म व दादा जी का पट्टा नहीं आया है।

22. **श्री जयप्रकाश गुप्ता, ग्राम केरता–** चौरा में मेरी भूमि है। लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ऐसा क्यों ? न मुआवजा में नाम है न नौकरी में नाम है, इसका क्या निर्णय होगा ? की जानकारी चाहिए।

23. **श्री टुमनलाल सेंगर, ग्राम जगन्नाथपुर केनापारा–**जिसके पास कोई नौकरी करने वाला नहीं है जैसे लड़की–लड़की है, उसकी सहमति से अन्य को नौकरी दी जाय।

24. **श्री संजय कुमार गुप्ता, ग्राम परसवारकला–** मेरा प्रश्न है भूमि का अधिग्रहण किस नीति व दिनांक से किया गया है ? मुआवजा का निर्धारण किस दर व दिनांक से किया गया है ? मुआवजा व रोजगार हेतु क्या पात्रता है ? किसको–किसको कितना मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए ? मुआवजा निर्धारण का ब्याज सहित भुगतान किया जाय। जिसकी जमीन जायेगी उसके पुर्नवास की क्या व्यवस्था है ?

25. **कुमारी श्यामापति, ग्राम चौरा–** मेरा भाई है जो गूंगा है। मेरे पिता के नाम से नौकरी है उसे मैं करना चाहती हूं।

26. **श्री उमाशंकर, ग्राम पंछीडांड़, पंपापुर–** हमारी जमीन 30 डिसिमिल ही खदान में आई है, नौकरी की पात्रता नहीं दी गई है, निवेदन है कि मुझे भी नौकरी दिया जाये।

27. **श्री शिवनाथ जायसवाल, जनपद सदस्य, ग्राम दुप्पी–** महान 2 खुली खदान परियोजना के अंतर्गत कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? कितने लोगो को नौकरी दी गई ? और कितनो को नहीं ? आज पर्यन्त 30 नौकरी तक नहीं दी गई है क्या कारण है ? कब तक नौकरी दी जायेगी ? समय सीमा के अंदर लिखित में जानकारी दी जाये। नौकरी दी जायेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया। एस.ई.सी.एल. प्रबंधन के द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? कोल उत्खनन बंद कराये जाने हेतु चौरा ग्राम द्वारा समिति का गठन किया गया था। हमारे क्षेत्र में अधिकांश भाई बहन आदिवासी है, एस.ई.सी.एल. द्वारा हाईकोर्ट में केश किया गया है, इस पर क्या रणनीति है ? केश को तत्काल वापस लिया जाये। वन अधिकार पत्र/शासकीय भूमि वालो को भी मुआवजा एवं नौकरी की पात्रता दी जाये। लड़कियों को भी नौकरी दी जाये नियम मे संशोधन किया जाये। पात्र को नौकरी दी जाये। पंछीडांड डायवर्सन मार्ग है, उसका तत्काल डामरीकरण कराया जाये। गाडियां पलट जाती है धनजन का नुकसान होता है। किसी की जमीन कम है तो बगल वाले की जमीन मिलाकर आपसी सहमति करने पर नौकरी दिया जाये। पुस्तैनी जमीन है, इसलिए उनको नौकरी दी जाये। भूमि के एवज में मुआवजा एवं नौकरी दिया जाये। जमीन के मूल्य का निर्धारण भूमि स्वामी की सहमति से किया जाये। किसान को भी उचित मुआवजा एवं उचित नौकरी दी जाये। एस.ई.सी.एल. द्वारा कोल उत्खनन पश्चात् जमीन का समतलीकरण कर वापस की

जाये। महान 3 किस ग्रामसभा के तहत् किस दिनांक को प्रस्ताव पारित किया गया, की प्रति दिलाई जाये। महान 2 के प्रकरणों का निराकरण करें, इसके बाद ही महान 3 के प्रकरणों का निपटारा करें, तो जनहित में होगा।

28. **श्रीमती सुनीता यादव, ग्राम पंपापुर**– महान 2 और 3 में पंपापुर में तीन जगह मेरी जमीन जा रही है। जमीन अलग–अलग जिले में है, 01–02 डिसिमिल जमीन कम हो रही है। हमे खदान में नौकरी दिया जाय। हम समर्थन देने तैयार हैं।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेटर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग अपरान्ह 2:20 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आर.के. निगम, महाप्रबंधक द्वारा उद्योग के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग अपरान्ह 2:40 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में कुल 23 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान 28 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 350 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 265 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

21/2/17

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)
अपर कलेक्टर
जिला-बलरामपुर, रा०गंज (छ.ग.)

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Paryavas Bhawan, Sector - 19,
Naya Raipur (C.G.) 492002

No. /TS/CECB/2017 Naya Raipur, Dated:

To,

The Secretary,
Government of India,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhavan, Level-2 Prithvi, Jorbag Road,
Aliganj,
New Delhi-110003

Sub: Proceeding of Public Hearing conducted as per provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006 (as amended) for proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare in Village– Paraswarkala & Chaura, Tehsil-Rajpur, District- Balrampur-Ramanujganj and Village- Jagannathpur & Pumpapur, Tehsil-Pratappur, District- Surajpur by M/s South Eastern Coal fields Limited.

---00---

With reference to above, M/s South Eastern Coal Fields Limited has proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare in two districts i.e. Village– Paraswarkala & Chaura, Tehsil-Rajpur, District- Balrampur-Ramanujganj and Village- Jagannathpur & Pumpapur, Tehsil- Pratappur, District- Surajpur.

Chhattisgarh Environment Conservation Board has conducted Public Hearing on 10/02/2017 at Premises of Govt. Higher Secondary School, Gram Panchayat Chaura, Tehsil-Rajpur, District- Balrampur-Ramanujganj (C.G.) for proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare by M/s South Eastern Coal Fields Limited as per the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006.

Similarly, Chhattisgarh Environment Conservation Board has conducted Public Hearing on 17/03/2017 at Premises of Dhan Kharidi Kendra, Jagannathpur, District- Surajpur (C.G.) for proposed Jagannathpur Open Cast Project for production capacity of 3.00 MTPA (Narmative) and 3.50 MTPA (Peak) in ML area of 686.151 hectare by M/s South Eastern Coal Fields Limited as per the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006.

The proceedings of both pub c hearing and other documents are enclosed herewith in original for necessary action please.

Encl:

A. **Public Hearing at Distric - Balrampur-Ramanujganj (C.G.)**

1. News clippings of public notices (Page No. 01 to 04)
2. Objections/Suggestions received during public hearing (Page No. 01 to 43)
3. Statement of main issues raised by the public during the public hearing & reply of the project proponent (Page No. 01 to 06)
4. Attendance sheet (Page No. 01 to 14)
5. Proceedings of public hearing (Page No. 01 to 07)

6. Videography CD of public hearing (0...
7. C.D. of the proceedings of public-hearing (01 No.)

B. **Public Hearing at District - Surajpur (C.G.)**

1. News clippings of public notices (Page No. 01 to 03)
2. Objections/Suggestions received during public hearing (Page No. 01 to 44)
3. Statement of main issues raised by the public during the public hearing & rep... the project proponent (Page No. 01 to 04)
4. Attendance sheet (Page No. 01 to 07)
5. Proceedings of public hearing (Page No. 01 to 06)
6. Videography CD of public hearing (04 Nos.)
7. C.D. of the proceedings of public hearing (01 No.)

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Naya Raipur(C.G)

Endt. No 299 /TS/CECB/2017
Copy to :-

Naya Raipur, Dated 17/4/1...

1. General Manager, M/s Jagannathpur Open Cast Project, S.E.C.L. Bhatgaonv Are... Post- Bhatgonv Collery, District - Surajpur (C.G) 497 235. Please find enclosed herewith the photocopy of public hearing documents including Videography CD of public hearing (01 Set.) of the project as mentioned above for further submission to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for obtaining Environmental Clearance.

2- Regional Officer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur.

Encl: As above

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Naya Raipur (C.G).

(Public hearing & reply of Page No. 01 to 44)

सं.क्र. 2

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

कमांक 660/न्या0 शा0/कार्गो/2016–17 सूरजपुर दिनांक 01/फरवरी/2017

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल
अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0।

विषयः–एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता–3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्।

संदर्भः–आपका का पत्र क0/1266/क्षे.का./छ.ग.प.स.मं./016 अम्बिकापुर दि0 16.12.016

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र व्दारा एन्वायरमेंट एम्पेक्ट असिसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत लोक सुनवाई हेतु निम्नानुसार अधिकारी, तिथि व समय तथा स्थान निर्धारित किया जाता है।

नामांकित अधिकारी (अध्यक्ष)– श्री एम.एल.धृतलहरे अपर कलेक्टर सूरजपुर।
स्थान – धान खरीदी प्रांगण जगन्नाथपुर जिला सूरजपुर।
दिनांक व समय – दिनांक 17 मार्च 2017 दिन शुक्रवार
– समय 12.00 बजे दोपहर।

1/2/17
कलेक्टर
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ कमांक 660/न्या0 शा0/कार्गो/2016–17 सूरजपुर दिनांक 01/फरवरी/2017

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण मंडल रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. अपर कलेक्टर, सूरजपुर जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. महाप्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक एस0ई0सी0एल0 भटगांव क्षेत्र जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1/2/17
कलेक्टर
सूरजपुर (छ.ग.)

क्र. 1616
दि. 02/2/17

02/02/17

संलग्नक-2

(1)

Last-minute goal sinks Warriors

JaspreetSingh.Sahni@timesgroup.com

Chandigarh: Dabang Mumbai dominated most of the proceedings on Saturday, but saved their best for the last minute when Robbert Kemperman's field goal crossed out Punjab Warriors' 1-0 lead to seal the Hockey India League match 2-1 in favour of the visitors at the Sector-42 Sports Complex here.

Triston Clemons held firm in the Warriors' post for 59 minutes, when Kemperman hit a bouncing ball past the Punjab 'keeper to spark celebrations in the Mumbai camp, who are now virtually through to their maiden semifinals as they lead the table with 28 points after seven ...ches. The victory continued Mumbai's dominance over Punjab this season, as they had won 10-4 at home.

Played in front of a sparse crowd, Punjab scored in the 37th minute after the first two quarters remained goalless. It was the Dutch dragflicker and Punjab's highest scorer of the league, Mink van der Weerden, who deposited his aerial flick to the top right corner of the net.

Mumbai dominated play right from the start but their luck, or the lack of it, could best be described by the double shot at goal they had as early as the 3rd minute and a field goal disallowed in the third quarter. Skipper Florian Fuchs weaved through Punjab defenders to get within five metres of the post but Clemons blocked the first shot and then the rebound to deny Mumbai the lead.

...NCE
...KHAPATNAM

...: 0891-2577067

...ated 31 Jan 2017 TOD: 10 Mar 2017

... of President of India, invites sealed tenders in two bid system ...s.

	Specification	EMD(Rs.)	Tender Fee(Rs.)
	Details can be downloaded from www.tenders.gov.in Note:- Last date for downloading of document is 09 Mar 2017	3,59,000/-	250/-

(C) EMD (Earnest Money Deposit): DD in favour of AAO (NAVY)

...ders.gov.in or obtained from the office of ... payment of tender fee.

...able to be rejected

...s the right to change / vary any part thereof at any stage or

...her reason either by this organization or any other ...es to light.

... Schedule

DELHI STATE CANCER INSTITUTES

- centres par excellence in the service of humanity -
(A group of autonomous Institutions under the Govt. of NCT of Delhi)
EAST: DILSHAD GARDEN, DELHI-110095
EPABX: +91-11-2213 5200, 2213 8700 FAX: +91-11-2211 0505
WEST: C-2/B, JANAK PURI, NEW DELHI-110058
EPABX: +91-11-2550 1111, 2554 1111 FAX: +91-11-2554 8889
Website: www.dsci.nic.in E-mail: dsci.delhi@yahoo.co.in

UICC

WALK-IN-INTERVIEW FOR :-

S.No.	SPECIALITY	POSTS**	DATE OF INTERVIEW
1.	**SENIOR RESIDENTS**		18-02-2017 (SATURDAY)
	A. CLINICAL ONCOLOGY (RADIOTHERAPY)	02	
	B. Onco-PATHOLOGY	02	
	C. ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE	04	
	D. SURGICAL ONCOLOGY	02	
	E. NUCLEAR MEDICINE	02	
	F. RADIO DIAGNOSIS	02	
	G. GASTROENTEROLOGY	01	
2.	**JUNIOR RESIDENTS**	06	

WALK IN INTERVIEW for adhoc appointment for 89 Days (extendable) for in above disciplines as per details given below. Additional candidates if qualified, may be kept on panel for future requirements. Desirous candidates, possessing **requisite qualifications may report for PERSONAL INTERVIEW to the Director's Office at DSCI** (East) on 18/02/2017 at 09:30 AM to 10:30 AM along with their resume, coloured passport size photograph and copies of relevant certificates (Original Certificates should also be brought for scrutiny). If the number of candidates in any discipline is more than five then they may be required to appear in a written exam and interview at a later date. For further details, please see the website: www.dsci.nic.in

Director & CEO, DSCI

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अन्तर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसवारकला एवं चौरा, तह.-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बावत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। उक्त के संबंध में लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 17/03/2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर, केरता, पंपापुर, मदनपुर, नानपुर एवं धर्मपुर, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.), मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर

INDIAN ORDNANCE FACTORIES

ORDNANCE PARACHUTE FACTORY, NAPIER ROAD, CANTT. KANPUR-208 004
Govt. of India (Ministry of Defence)
OPEN TENDER ENQUIRY
Tel No. 0512-2327901, 2327902, 2327903 Fax no. 0512-2321436
E-mail : opf.ofb@nic.in

NO OR/EYS/OPFR/DAV/2017-18/PV/02

THE PRESIDENT OF INDIA INVITES SEALED TENDERS UNDER TWO BID SYSTEM FROM ORIGINAL MANUFACTURER/ SOLE SELLING AGENT OF PRINCIPAL MANUFACTURER FOR SUPPLY OF THE FOLLOWING ITEMS:-

Tender Enquiry No.	Nomenclature of Material	Quantity	Last Date of receipt of Tender Documents	Tender Opening Date
110160471 06-02-2017	INERTIA PROOF QUICK RELEASE FITTING 4 POINT.	32 NOs.	06-03-2017	06-03-2017
110160422 06-02-2017	MV TRIANGULAR D RING	6261 NOs.	06-03-2017	06-03-2017

NOTE:- 1- All relevant details of item terms and conditions etc. are available on website www.tenders.gov.in
2- Any Changes/Amendment will be available on web-site www.tenders.gov.in

Sd/-
(D. BARO)
JT. GENERAL MANAGER
FOR SR. GENERAL MANAGER

davp 10201/11/2087/1617

प्राप्त में प्राप्त की जाएगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://www.pwd.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(एन.डी. छंगाणी) अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
सा.नि.वि., जोधपुर संभाग, जोधपुर

डीआईपीआर/सी/1595/2017

हजार करोड़ व बायोमास संयंत्रों में 300 करोड़ रु. के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता रमेश मल्चनी ने कहा 1000 किलोवाट का महंगा प्रोजेक्ट देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है जहां प्रति मेगावाट

जिसे 2012 तक पूरा होना था। देरी से इसकी लागत बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट)

CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY (CIPET)

सिपेट प्रवेश सूचना 2017

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु

क्रम सं.	दीर्घकालीन डिप्लोमा कार्यक्रम के शीर्षक	अवधि, वर्षों में	अधिकतम आयु सीमा वर्षों में	प्रवेश अर्हता
1.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग (पी.जी.डी.-पी.पी.टी.)	1½	25	बी.एस.सी. (3 वर्षीय) (रसायन विज्ञान सहित)
2.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल (पी.जी.डी.-पी.टी.क्यू.सी.)	1½	25	बी.एस.सी. (3 वर्षीय) (रसायन एवं भौतिक विज्ञान और गणित सहित)
3.	पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड डिजाइन विद कैड कैम (पी.डी.-पी.एम.डी.विद कैड कैम)	1½	25	3 वर्षीय डिप्लोमा (विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर)
4.	डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी (डी.पी.एम.टी.)	3	20**	कक्षा 10 उत्तीर्ण कम से कम 35% अंको सहित
5.	डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (डी.पी.टी.)	3	20**	कक्षा 10 उत्तीर्ण कम से कम 35% अंको सहित

*31 जुलाई 2017 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और उत्तरपूर्वी राज्यों के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट **मई 31, 2017 को न्यूनतम 15 वर्ष आयु होनी चाहिए।

आवेदन पत्र ... जमा करने की अंतिम तारीख ... 2017

ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म सिपेट वेबसाइट : www.cipet.gov.in पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें: ... फोन: 91-771-6555512, मो. ...0791 1101789,
ई-मेल : raipur@cipet.gov.in, / cipetraipur@gmail.com.

क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अन्तर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.60 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसवारकला एवं चौरा, तह.-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। उक्त के संबंध में लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 17/03/2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर, केरता, पंपापुर, मदनपुर, मानपुर एवं धर्मपुर, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.), मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अम्बिकापुर

कार्यालय नगर पंचायत ...

मेनुअल पद्धति

[illegible]

छत्तीसगढ़ लोक ...

क्रमांक/3132/302/विज्ञापन/2014

संक्षिप्त ...

[illegible]

www.ue...

...- सरगुजा (छ.ग.)

3

...से अच्छे वातावरण व अच्छे विचारों की उत्पत्ति होगी। ...ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रति नागरिकों में ...त करने के उद्देश्य से एवं लोगों को सफाई के प्रति जागरूक ...बीड़ा उठाया है। हम सभी प्रधानमंत्री के सोच पर खरा उतरे ...को जिस प्रकार साफ-सफाई रखते है ठीक उसी तरह अपने साफ-सुथरा रखें। स्वच्छता के प्रति सजग रहने की अपील ...कि अस्पताल परिसर को स्वच्छ बनाये। कचड़ा इधर-उधर कुछ दिनों पूर्व हमारे नगर पालिका परिवार द्वारा जिला ...डस्टबीन प्रदान किया गया है उसका उपयोग करें तथा ...चरा न डालकर कूड़ेदान का उपयोग करें।

...करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गन्ना क्षेत्र विस्तार हेतु दिए गए लक्ष्य के अनुरूप अल्प उपलब्धि पर 20 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की आगामी आदेश तक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखण्डवार गन्ना क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य और प्रगति की जानकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से ली और कहा कि ...किसानों से गन्ना क्षेत्र विस्तार से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली और प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गन्ना बोनी का कार्य अतिशीघ्र पूरा कराएं। बैठक में गन्ना क्षेत्र विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा दी जा रही ...किसानों के लिए सौर सुजल योजना के तहत सौर ऊर्जा पम्प लगाने के शीघ्र ही प्रकरण तैयार करें। बैठक में उपसंचालक कृषि यशवंत केराम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी कृषि, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष छगन देशमुख सहित गन्ना उत्पादक किसान मौजूद थे।

इरादे हो तो, होता है हर समस्या का निराकरण-नगर विधायक

...सी)। कोरबा ...क्षेत्र के विधायक ...ाल ने कहा है कि यदि ...मजबूत इच्छाशक्ति हो ...बड़ी समस्याओं का ...व हो जाता है, प्रसन्नता ...है कि ...पौर रेणु ...उनकी ... इन्हीं नेक ...बूत इच्छाशक्ति के साथ ...के निराकरण के लिए ...ी हैं, परिणाम स्वरूप ...लोगों की समस्याएं दूर ...सुविधाएं मिल रही हैं। ...ायक अग्रवाल ने वार्ड ...आयोजित भूमिपूजन ...दौरान कही।

...निगम कोरबा द्वारा दर्री ...ंत आने वाले वार्ड क्र. ...गुरु संत रविदास स्थल ...क अहाता एवं शेड के निर्माण का कार्य 12 लाख 46 हजार रूपयें की लागत से किया जाना है। महापौर रेणु अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं नगर विधायक जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उक्त विकास कार्य का विधिवत भूमिपूजन उनके द्वारा किया गया, उन्होंने पूजा अर्चना कर एवं शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर विकास कार्य का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर विधायक अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज गुरु संत रविदास जी के इस पवित्र स्थल पर बाउण्ड्रीवाल व शेड के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, ऐसे स्थलों के विकास के लिए निश्चित रूप से पूरी इच्छाशक्ति के साथ कार्य होने चाहिए, उन्होंने कहा कि गुरु संत रविदास जी एवं महान संत, पथ प्रदर्शक व समाज को सही दिशा, सही मार्ग बताने वाले महानजन थे। जनविश्वास व आशीर्वाद देता है विकास की प्रेरणा- इस मौके पर महापौर रेणु अग्रवाल ने कार्यक्रम में काफी संख्या में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका आशीर्वाद व विश्वास मेरे साथ हैं और यही विश्वास व आशीष मुझे निरंतर विकास करने की प्रेरणा देता है, मेरा सदैव प्रयास रहता है कि आपका विश्वास कभी खंडित न होने पाए, मैं सदैव व्यक्तिगत हित से हट कर सार्वजनिक हित के लिए काम करने की इच्छा रखती हूं तथा इसी लक्ष्य के साथ कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्य प्रगति पर है, जनसमस्याएं समाप्त हो रही हैं, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, यह जनता जनार्दन के आशीर्वाद व विश्वास का ही परिणाम है। कार्यक्रम के दौरान निगम के सभापति धुरपाल सिंह कंवर, वरिष्ठ पत्रकार वेदप्रकाश मित्तल, मेयर इन काउंसिल सदस्य व वार्ड पार्षद इस्माईल कुरैशी, एम.आई.सी.सदस्य सुनील पटेल, पार्षद बीरसाय धुनवार, रामायण दास महंत, मंगल बुधिया, पूर्व पार्षद इंदिरा नवरंग, राजेन्द्र सिंह ठाकुर, बनवारीलाल आदित्य, रमेश नवरंग, गोविंद दास महंत, सिकंदर मेमन, अशोक मित्तल, कार्यपालन अभियंता, अमरनाथ लकवारे, लक्ष्मी भट्ट, चन्द्रभान चन्द्रा, सुनीता केशरवानी, कुन्ती गोप, गायत्री विश्वास, सुनीता लहरे, लक्ष्मीबाई, गोपाल लहरे, मुन्ना तिवारी आदि के साथ रविदास जयंती समिति के सदस्य व पदाधिकारीगण एवं आमनागरिकगण उपस्थित थे।

अम्बिकावाणी दि: 12/02/17

...अधीक्षण अभियंता
...स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

निविदा आमंत्रण तिथि :- 08.02.2017

...टि निविदा सूचना

...ता के प... /देय होगी।
...f http://eproc.cgstate.gov.in

	अनुमानित लागत (लाख में)	संबंधित संभाग क्रमांक	निविदा आमंत्रण क्रमांक	सक्षम ठेकेदार	Bid Due Date
	5	6	7	8	9
...अंतर्गत ...एवं गैर ...मरम्मत/ ...ार्य.	30.00	अम्बिकापुर	प्रथम आमंत्रण	द से अ वर्ग ठेकेदार	22.02 2017
...ासखण्ड ...100 सीटर ...भंजन ...पट्टी के ...।	43.33	सूरजपुर	द्वितीय आमंत्रण	द से अ वर्ग ठेकेदार	22.02 2017

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर मण्डल, अम्बिकापुर

लोक सुनवाई सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अन्तर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता-3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम-जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम-परसवारकला एवं चौरा, तह.-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बावत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। उक्त के संबंध में लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 17/03/2017, दिन-शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, स्थान-धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर, केरता, पंपापुर, मदनपुर, मानपुर एवं धर्मपुर, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.), मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करना हो तो वे इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बैंक कालोनी, बी.टी.आई. के पीछे, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में मौखिक या लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अम्बिकापुर

(4)

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ....डोरा.......... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

(1) श्यामलाल
(2) [illegible] कुमार
(3) ओमप्रकाश
(4) [illegible]
(5) दीपलाल
(6) सुनील
(7) [illegible]
(8) विनोद कुमार
(9) रुपमति

[illegible]
Sanjay
[illegible]
[illegible]
दीपलाल
सुनील
Deepika [illegible]
Vinod Kumar
Rupmati

क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
क्र. 04 दि. 17/3/17

[illegible]
17/3/17

5

3/17

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ...चौरा............ के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

(1) राम कृष्णा	राजकृष्णा
(2) बिजय बहादुर	बिजयबहादुर
(3) राम नाथ	रामनाथ
(4) सोमन	सोमन
(5) पवन राम	पवन राम
(6) सोनमती	[thumb impression]
(7) करमतिया	करमतिया

क्र. 05 दि. 17/3/17

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......चौरा...... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

1	नानसाय	नानसाय
2	सुखदेव लकड़ा	सुखदेव लकड़ा
3	चुन्नीलाल	चुनीलाल
4	कृष्णा	[illegible]
5	प्रतीमा	प्रतिमा
6	राजेश्वर	राजेश्वर
7	मनेश्वरी	मनेश्वरी
8	गोंधू	गो[illegible]
9	उर्मिला	
10	सागर	

17/3/17

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

8/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – ....चौरा.......... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

1. कोंदीया
2. सुमन कुमार — सुमन कुमार
3. भुजन साव — भुजन साव
4. राम सेवक
5. सीताराम — सीताराम
6. धर्मसाय
7. रेंगटा
8. लेधो
9. लोमकुमार
10. सरोमसाय

(मुहर) क्र. 06 दि. 17/3/17

(9)

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

17/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......चौरा...... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

1. मंगल साय
2. राम मनोज — मनोज
3. मुरी बाई
4. आगर साय — आगर
5. मुनु लाल
6. कपिल — कपिलदेव
7. उगल साय — उगलसाय
8. जगरनाथ — जगरनाथ
9. लट्टु — लट्टु
10. जगदीश

क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल ... 89 ... 17/3/17

सेवा में
श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला - [illegible]

विषय - मकान, किसान, नक्शा [illegible]

महाशय

सविनय निवेदन है कि मेरा जमीन पर दिनांक 15/6/015 को किया गया जिसमें [illegible] नक्शा [illegible] मकान, किसान [illegible] नहीं किया गया जिससे हमें भारी परेशानी होती है। अतः श्रीमान जी से आवेदन है कि मेरा उपरोक्त [illegible] पत्र को [illegible] करने की कृपा करेंगे।

आवेदक
[signature]
[illegible] S/o [illegible]
ग्राम [illegible]
तह. [illegible]
17/3/017

[stamp: [illegible] 10, दि. 17/3/17]

[signature] 17/3/17

(15)

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

17/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......केरता............ के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

संतोष टोप्पो	[signature]
भादे राम	भादेराम
नरेश	[signature]
अक्षय सोनी	अक्षय
मनोज गुप्ता	मनोज गुप्ता
शैलेश गुप्ता	शैलेश गुप्ता
आशीष कुमार गुप्ता	SKgu

क्र. 11 दि. 17/3/17

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगी।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

चिन्ता भोय	चिन्ता मांझी
रामबली	रामबली
जय सिंह	जयसिंह
गोविंद बारिक	[illegible]
सुखसागर	[illegible]
कन्नीलाल	[illegible]
विवेक गुप्ता	[illegible]

(1)

<u>जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु</u>

महाशय,

हम सभी ग्राम – .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

उदेय राम	उदे
सुनील टोप्पो	सुनील टोप्पो
सुखलाल	सुखलाल
शीखलाल	[illegible]
रामनाथ	रामनिवास
सहदेव वारिक	[illegible]
सुन्दर वारिक	सुंदर वारिक
नारायण वारिक	नारायण वारिक

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – केरता .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

ओम प्रकाश शुक्ला		[signature]
सुमार साय	ज० पुर	सुमार साय
मनोज सिंह	केरता	[signature]
सोमारी	ज०पुर	सोमारी
सुर साय	जगन्नाथपुर	सुर साय
शिवलाल	जगन्नाथपुर	शिवलाल
राम बकल	जगन्नाथपुर	रामबकल
जय सिंह	—	जयसिंह

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......पम्पापुर........ के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

सुनील सोनी	पम्पापुर	सुनील सोनी
अनील सोनी	–" –	[signature]
अशोक सोनी	–" –	[signature]
रितेश सोनी	–" –	[signature]
करमचन्द गुप्ता	–" –	[signature]
कन्हैया सोनी	–" –	
जय करन	–" –	जयकरन
कबुतरी	–" –	कबुतरी

(20)

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

17/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – केरता के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगी।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

विजय कुमार गुप्ता	VRGupta
सुदामा गिरी	सुदामा गिरी
सत्यप्रकाश	[signature]
विशाल गुप्ता	Vishal
आकाश गुप्ता	[signature]
जगमेन बाई	[thumb impression]
निर्मला तिर्की	निर्मला तिर्की
राम कुमार	RKSingh
शिवनाथ	शिवनाथ

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – केरता .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

यशवन्त गुप्ता	यशवन्त गुप्ता
संगीता गुप्ता	Sagita
रामजवीत	रामजवीत
अजय गुप्ता	Ake
बसन्ती	
बनारसी	
अनील दास	अनील कुमार दास
सदाम	Sad

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – केरता के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

राकेश ठाकुर	राकेश ठाकुर
महेन्द्र कुमार	महेन्द्र कुमार
गोरेलाल	गोरेलाल
सन्तलाल	सन्तलाल
आशा दास	आशा दास
नरोत्तम	[illegible]
बजरंग	बजरंग
अजय	अजय

(22)

<u>जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु</u>

महाशय,

हम सभी ग्राम – ....केरता.......... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगी।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

सुरजन एक्का	सुरजन एक्का
चन्दर राम	चन्द्र
सुखराजू	नि. सुखराजू
सोमा	नि. सोमा
छतरु	नि. छतरु
रजना	रजना
कालो बाई	नि. कालो
भुनेश्वर गुप्ता	भुनेश्वर गुप्ता

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......केरता...... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

विजय यादव	विजय यादव
अनिरुद्ध	अनिरुद्ध
लोचन	लोचन
बलदेव	बलदेव
रमेश बारीक	रमेश बारीक
पंकज गुप्ता	पंकज गुप्ता
संजय गुप्ता	संजय गुप्ता
बाबुलाल गुप्ता	बाबुलाल गुप्ता

(25)

<u>जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु</u>

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......खैरता.............. के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

शिवकुमार गुप्ता	शिवकुमार
लहरु सिंह	लहरुसिंह
झिगलेश्वर	झिगलेश्वर
धनीलाल	धनी लाल
हिरा	हिरा
विवेक गुप्ता	[signature]
आनन्द साहू	आनन्द
ओमप्रकाश	आ.ओ. 2/5/14

26

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ....केरता.... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

भागीरथी सिंह	भागीरथी सिंह
रामसिंह	राम सिंह
विक्की	विक्कि
रवीशंकर	रवीशंकर
प्रेम कुमार सिंह	[signature]
सतेन्द्र कुमार	[signature]
राम दयाल	राम दयाल
पिंमा गुप्ता	Vgupta

(27)

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......Kesta.............. के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

Smt. Mahimeshwari Banik. [signature] 17-3-17

Ku. priyanka Jaiswal– [signature] 17-3-17

Ku. Jaya — " — Jaya 17/3/17

Ku. Meena Das Meena 17/3/17

Ku. Megha Bhoy. megha 17/3/17

Ku. poornima jaiswal. [signature] 17/3-17

S. K. Soni [signature] 17/03/017

Smt. Aasha Das. A.das 17/3/17

दिलमोहम्मद दिलमोहम्मद

क्र. 13 दि. 17/3/12

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम -- नरउरा .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस-पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

12- राजेश यादव ———— राजेश यादव
13- बसंत लाल ———— बसंत लाल
14- बहादुर यादव ———— बहादुर यादव
15 राहुल ———— राहुल
16- मिथलेश ———— मिथलेश
17- जमुना ———— जमुना
18- दसरु ठाकुर ———— [illegible]
19- कृष्ना गुप्ता ———— कृष्ना
20 जलाधर गुप्ता ———— Jaled
21 किशनलाल ———— [illegible]

[illegible]
17/3/12

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

महाशय,

हम सभी ग्राम – चउरा .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी ज़मीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

22 - दामोदर ———— दमोदर

23 - रामबिलास ———— रामबिलास

24 - विजय कुमार यादव ———— विजय

25 - सुधा ———— सुधा गुप्ता

26 - संवरी ———— संवरी

27 - बालकुंवर ———— बालकुंवर

28 रामसाय ———— रामसाय

क्र. ...14...
दि. ...17/3/17...

17/3/17

(20)

<u>जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु</u>

महाशय,

हम सभी ग्राम – चउरा .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

29 – शंकर राम ________ शंकर राम

30 – परसोतम ________ परसोतम

31 – मुल चंद ________ [signature]

32 – हिराचन्द ________ हिरालाल

33 – [illegible] ________ [signature]

34 – जितन्द्र मिंज ________ जितेन्द्र मिंज

15 17/3/17

[signature] 17/3/17

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

16
17/3/17

17/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......पड़री.............. के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

1 – पुनी राम ———— पुनीराम
2 – नान साय ———— नानसाय
3 – जनेवधारी ———— जनेवधारी
4 – महासागर ———— [signature]
5 – शिव प्रसाद ———— शिवप्रसाद
6 – पुची देवी — अ.नि. पुची
7 – दरबारी — अ.नि. दरबारी
8 – शंकर यादव — [signature]
9 – निर्मल यादव — निर्मलयादव
10 – राजकुमार — राजकुमार
11 – छबीलाल — छबीलाल

(32)

<u>जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु</u>

17/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – ......पकरी........... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

नाम

① नन्दकेश्वर यादव

② चन्द्रदेव यादव

हस्ताक्षर

चन्द्रदेव यादव

17/3/17

(33)

18
13/3/14

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

13/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – ....पकुरा.......... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

नाम	हस्ताक्षर
1. मोहर यादव	मोहरयादव
2. सिया राम	सियाराम
3. राकेश मानिकपुरी	राकेश
4. सुभाष यादव	सुभाष यादव
5. सिताराम मानिकपुरी	सोनाराम
6. राजकुमार	राज कुमार
8 अजोध्या	अयोध्या
9 अनिल कुमार	अनिल
10 संजय कुमार मानिकपुरी	संजय

(36)

क्र. 19 दि. 17/3/17 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जगन्नाथपुर परियोजना के पर्यावरणीय अनुमति हेतु

17/3/17

महाशय,

हम सभी ग्राम – .... के निवासी है तथा हमने सहमति से अपनी जमीन जगन्नाथपुर परियोजन एसईसीएल को दे रहे हैं। इस खदान के खुलने से हम तथा हमारी आने वाली पीढी को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभ होगी तथा आस–पास के ग्रामवासी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। हमें विश्वास है कि एसईसीएल पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के अन्दर रखेगीं।

अतः अनुरोध है कि जगन्नाथपुर परियोजना शीघ्र चालू की जाए एवं नौकरी भी जल्दी दी जाए।

नाम	हस्ताक्षर
	बुधराम
(1) बुधराम	मंगल
(2) मंगल	[signature]
(3) धनेश्वर राम	
(4) अमर साय	अमर साय
(5) विद्या सागर गुप्ता	[signature]
(6) रामनाथ मानिकपुरी	रामनाथ
(8) ननका	ननका
(9) सोहन सिंह	सोहन सिं
(10) सोनु राम	सोनु राम

(35)

प्रति,

दिनांक- 17.3.017

स्थान - भरसूनपारा

जगन्नाथपुर

जिला C.E.O. महोदय जी

जिला सूरजपुर (छ०ग०)

विषय :- ~~क~~ जमीन सम्बन्ध हेतु बावत ।

महोदय,

निवेदन यह है कि ~~मैं समनलाल~~ S/o रामचन्द्र निवासी ग्राम जगन्नाथपुर तह० प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०) का निवासी हूँ महोदय मैं अपनी सम्पूर्ण जमीन S.E. सोलर को देने के लिये तैयार हूँ महोदय मेरा जमीन का फैसला हाई कोर्ट, तथा सूरजपुर कलेक्टर महोदय से मेरे पक्ष में फैसला किया गया है परन्तु महोदय माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय प्रतापपुर जी के पास विभाजन हेतु लम्बित है। जो कि लगभग 3 वर्षों से लम्बित है। अतः महोदय जी से सादर निवेदन है कि आगे कि कानूनीकार्यवाही करने कि कृपा करें।

क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
क्र. [illegible]
दि. 17/3/17

17/3/17

प्रतिलिपी

(1) हाई कोर्ट की आडर छायाप्रति ।

(2) अपर ~~कलेक्टर~~ कलेक्टर महोदय जी सूरजपुर कि आडर छाया प्रति ।

समनलाल

प्रार्थी

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

Civil Revision No. 106/2007

APPLICANTS
Plaintiffs — Saniho Bai and others.

Versus

RESPONDENTS
Applicant — Sadi and others

S.B. : HON'BLE SHRI N.K. AGARWAL, J

PRESENT :-
Shri D.N.Prajapati, counsel for the applicants.
Shri V.K.Pandey, counsel for the respondents No.1 & 2 (A).
Shri Arvind Dubey, P.L. for the State/respondent No.3.

Copy of

ORDER
(21-07-2011)

Heard.

2. Legality and propriety of the order dated 16.07.2007 passed by the Civil Judge, Class-II, Pratappur, district Surguja in Civil Suit No. 04/2003 is under assail in the instant revision.

3. Brief facts of the case are as under:

(i) After proceeding ex parte against defendants No.1 & 2 i.e. Sakhu and Lakho, the learned trial Court passed ex parte decree in favour of applicants on 25.4.2001

(ii) The legal representative of defendant No.1 – Sakhu has preferred an application under Order 9 Rule 13 of the C.P.C. inter alia on the ground that Sakhu has already died on 14.11.1997. The learned trial Court, on appreciation of the evidence led before it and

(57)

considering the fact that as on 11.4.2001 Sakhu was not alive, set aside the decree. Hence, this revision.

3. Shri D.N. Prajapati, learned counsel appearing for the applicants would submit: after passing of the ex parte decree, the possession has already been restored in applicants' favour; the defendants Sakhu and Lakho have filed their written statement on 22.2.99, and therefore, either the written statement bears false signature of Sakhu or the contention of the legal representative of the deceased Sakhu is not correct and the learned trial court erred in setting aside the ex parte decree passed in applicants' favour.

4. On the other hand, Shri V.K. Pandey, learned counsel appearing for respondents No. 1 and 2(A) would submit: the learned trial Court based on death certificate of Sakhu and based on the fact that legal representative of Sakhu has already been substituted on 25.03.1998 in Civil Suit No. 136A/1995, set aside the judgment and decree and there is no illegality in the order passed by the trial Court and order deserves to be upheld.

5. I have heard learned counsel for the parties and perused the order impugned.

6. Indisputably, Sakhu has died prior to the date when the trial Court proceeded ex parte against him. Considering the above fact that there was no person available, against which, the trial Court could have proceeded ex parte, the trial Court has rightly set aside the ex parte judgment and decree and there is no infirmity in the order impugned leading to manifest injustice to the applicants. Therefore, in my

7. However, for rest of the contentions raised by M. Prajapati, he can take appropriate action against the party who had filed written statement by filing appropriate application.

8. No order as to costs.

Sd/-
N.K.Agarwal
Judge

सत्य-प्रतिलिपि
27.07.11
मुख्य प्रतिलिपिकार
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

Copyist

Comparer

Head Copyist

(1)

(39)

न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्रमांक 08/अ-6अ/2014-15
ग्राम जगरनाथपुर तहसील प्रतापपुर

क्र. 9295
दिनांक - 17/5/2016

1. बलराम आ0 पनकू
2. अखिलेश्वर आ0 पनकू
3. रघुनाथ आ0 पनकू
4. कमलकिशोर आ0 पनकू

निवासी ग्राम जगरनाथपुर तहसील प्रतापपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.) ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्व

1 केली आ0 लाखो
निवासी ग्राम जगरनाथपुर तहसील प्रतापपुर,
जिला सूरजपुर (छ.ग.)।

..............................अनावेदिका

आदेश

(पारित दिनांक 06/01/2016)

~~पुनरावेदी बलराम आ0 पनकू जाति उरांव निवासी ग्राम जगरनाथपुर~~ तहसील प्रतापपुर द्वारा न्यायालय तहसीलदार प्रतापपुर जिला सूरजपुर के प्रकरण कमांक 31/अ-6अ/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2014 से क्षुब्ध होकर संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि स्व0 सदी एवं अनावेदिका केली द्वारा संयुक्त रूप से पुनरावेदकगण सहित स्वर्गीय सनिहो बाई के विरूद्ध एक आवेदन दिनांक 19.09.2011 को राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लगभग 20 दिनों के बाद ही आवेदिका सदी की मृत्यु हो गई। इसके उपरान्त दिनांक 10.10.2011 को अनावेदिका सनिहो बाई की भी मृत्यु हो गई। नियमतः आवेदिका द्वारा मृत पक्षकारों के विधिक वारिसानों को उनकी मृत्यु दिनांक से 90 दिवस के अंदर पक्षकार नहीं बनाये जाने से वर्तमान आवेदन ही उपसमित हो जाने के बाद निम्न न्यायालय मे आवेदिका केली उक्त आवेदन के संचालन की कार्यवाही जारी रखी ~~और निम्न न्यायालय में जब आवेदिका द्वारा आवेदन दिनांक 18.06.2012 को सदी~~ के तथाकथित विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लाने का समयबाहय आवेदन दिया गया तो पुनरावेदकगण द्वारा उसका विस्तृत उत्तर देते हुये प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जिरा पर बिना कोई विचारण किये ही विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश के द्वारा मूल आवेदन का उत्तर प्रस्तुत करने का पुनरावेदक का अवसर समाप्त कर दिया। निम्न न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आलोच्य आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय को पहले मृत पक्षकारों के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जाना चाहिए था। और उसके निराकरण उपरान्त ही यदि प्रतीत होता कि मृत पक्षकारों को रिकार्ड पर लाये जाने हेतु समयबाह्य प्रस्तुत आवेदन का कोई पर्याप्त उचित कारण है। तभी प्रकरण में प्रस्तुत मूल आवेदन के जबाब हेतु स्थगित करने का आदेश नहीं दिया गया तो आवेदकगण न्याय से वंचित रह जायेंगे और उन्हें सारवान अपूर्णीय क्षति होगी।

सत्य प्रतिलिपि 18/7/16
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला कार्यालय सूरजपुर(छ.ग.)

प्रकरण नियत किया जाना चाहिये था। परन्तु निम्न न्यायालय ने विधि एवं प्रकियाओं के विपरीत आलोच्य आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करने तथा पुनरावेदकगण को अपना जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में निम्न न्यायालय का मूल प्रकरण प्राप्त किया गया। तथा उभयपक्ष के तर्क हेतु प्रकरण नियत किये गये। पुनरावेदकगण द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है एवं अनावेदिका के अधिवक्ता का तर्क सुना गया। पुनरावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्क में इस न्यायालय में संस्थित वाद विषय से भिन्न तथ्यों का उल्लेख किया है। साथ ही उल्लेख किया है कि पुनरावेदी द्वारा आवेदिका सदी की मृत्यु निःसंतान होनें एवं कोई विधिक वारिसान नहीं होनें के कारण उसका नाम विलोपित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जब मूल आवेदन के निराकरण के दौरान कोई अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अंतरिम आवेदन का निराकरण किये जाने के पश्चात् मूल आवेदन का निराकरण किये जाने का प्रावधान है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा ऐसा न कर मूल आवेदन का जबाब का अवसर समाप्त करते हुये अंतरिम आवेदन के जबाब हेतु नियत किये जाने का आलोच्य आदेश पारित किया गया जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत है इसलिये निम्न न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अनावेदक पुनरीक्षणकर्ता को निम्न न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किये जाने हेतु कई बार पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसके उपरान्त भी निम्न न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पक्षकार को कानूनी बिन्दू की जानकारी नहीं होनें के कारण बिलंब से मृतक के वारिसों को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो क्षमा किये जाने योग्य है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित विधि एवं प्रकिया के अनुरूप है। अतः पुनरावेदकगण का आवेदन निरस्त करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर रखा जावे।

प्रकरण में निम्न न्यायालय का मूल प्रकरण तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का अवलोकन का परिशिलन किया गया। निम्न न्यायालय के समक्ष स्व0 सदी बेवा साखू एवं केली आ0 लाखों द्वारा राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी जबाब हेतु निम्न न्यायालय द्वारा प्रकरण नियत किया जाकर विभिन्न तिथियों में जबाब हेतु अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 07.05.2014 को जबाब हेतु अंतिम अवसर हेतु प्रकरण नियत था । इसी तिथि को अनावेदक द्वारा जबाब प्रस्तुत न कर निःसंतान मृत पक्षकार का नाम विलोपित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उस तिथि को आवेदन की प्रति विरोधी पक्षकार को प्रदान करते हुये मूल आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का जबाब का अवसर समाप्त कर अंतरिम आवेदन के जबाब हेतु नियत किया गया। जबकि निम्न न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण का जबाब हेतु नियत था और नियत तिथि को निःसंतान मृत पक्षकार का नाम विलोपित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय को चाहिये था कि सर्व प्रथम उस अंतरिम आवेदन का निराकरण की कार्यवाही करना चाहिये, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर

न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर (छ.ग.)

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकर
जिला कार्यालय सूरजपुर(छ.ग.)

स्थगित करनें का आदेश नहीं दिया गया तो आवेदकगण न्याय से वंचित रह जायेंगे और उन्हें सारवान अपूर्णनीय क्षति होगी।

विचार नहीं करते हुये मूल आवेदन का जबाब का अवसर समाप्त कर दिया गया जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत है। विधि के विपरीत पारित आदेश से किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। जब भी प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करते समय कोई अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो, विधि अनुसार सर्व प्रथम उस अंतरिम आवेदन का निराकरण किया जाना चाहिये। उपरोक्त विवेचना से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि एवं प्रकियों के विपरीत होनें से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

उपरोक्त आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.05.2014 आदेश विधि एवं प्रकियाओं के विपरीत होनें से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है तथा पुनरावेदीगण का पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अंतरिम आवेदन का सर्व प्रथम निराकरण करते हुये प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

आज दिनांक 06/01/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित आदेश पारित व उद्घोषित।

(एम.एल.घृतलहरे)
अपर कलेक्टर
सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

CANCELLED CANCELLED
TWO RUPEES INDIA
FOR COPYING FEES ONLY

आवेदक पत्र क्रमांक:- 8295
1.आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक: 17-5-16
2.आवेदक को उपस्थित होने के लिये कहा गया वह दिनांक: 19-5-16
3.आवेदक का उपस्थित होने का दि. 19-5-16
4.प्रतिलिपि तैयार होने का दि. 17-5-16
5.प्रतिलिपि तैयार होने या भेजने का दि. 19-5-16
21/-

सत्य प्रतिलिपि
19-5-16
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला कार्यालय सूरजपुर(छ.ग.)

स्थगित करनें का आदेश नहीं दिया गया तो आवेदकगण न्याय से वंचित रह जायेंगें और उन्हें सारवान अपूर क्षति ... होगी।

:: वसीयतनामा :: (अंतिम इच्छा क.)

वसीयतकर्ता :- साधु आ0 [illegible], उम्र लगभग 70 वर्ष, जाति उरांव,
निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, थाना व. तहसील प्रतापपुर
जिला - सरगुजा.

वसीयतग्रहीता :- सम्पलाल आ0 रामचन्दर, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति
उरांव, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, थाना व तहसील
प्रतापपुर, जिला - सरगुजा छ.ग.

--

विदित हो कि मुझ वसीयतकर्ता के नाम पर शामिल
खाते की भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम जगन्नाथपुर, तहसील प्रतापपुर
में भूमि लगभग 12 एकड़ स्थित है। जो हर तरह के ऋण भार से मुक्त
व पाक है। मैं काफी वृद्ध हो गया हूं, [illegible] जीवन का कोई
भरोसा नहीं है कि कब अन्त हो जाय। मेरा कोई संतान नहीं है, जिस
कारण मैं, अपने नाती सम्पलाल को बचपन से उसे अपने पास रखा हूं,
जो मेरा सेवा टहल व देख रेख करता है। जिसके सेवा सुश्रुषा से काफी
प्रसन्न हूं, जिस कारण मैं अपने संयुक्त खाते की भूमि में से अपने हिस्से
की संपूर्ण भूमि को वसीयतग्रहीता के पक्ष में वसीयतनामा लिख रहा हूं।
ताकि मेरे मरने के पश्चात उक्त संयुक्त खाते की भूमि में से मेरे हिस्से
की संपूर्ण भूमि को वसीयतग्रहीता अपने नाम से नामांतरण करा कर
शांति पूर्वक काबिज काश्त होकर कृषि कार्य व अपना उपयोग करे, मैं
वसीयतकर्ता उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई
वसीयतनामा व अन्य दस्तावेज किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर
निष्पादित नहीं किया हूं, यह मेरा प्रथम व अंतिम वसीयतनामा है।
यदि उक्त भूमि में से मेरे हिस्से की भूमि का इस वसीयतनामा के अलावा
और कोई अपना वसीयतनामा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या
अपना हक व अधिकार बताता है, तो उसे गलत व रद्द समझा जावे,
इस भूमि पर मात्र वसीयतग्रहीता का ही हक व अधिकार होगा,
जिस हेतु मैं अपना यह वसीयतनामा निष्पादित कर रहा हूं।

[signature]

क्रमशः : 2/

(43)

2//

अतः अपने स्वस्थ इन्द्रियों के हालत में रहकर निम्न गवाहों के समक्ष बिना किसी दबाव व बहकावे में आये यह वसीयतनामा वसीयतकर्ता के पक्ष में लिखवा कर, पढ़वा कर, सुनकर व समझ कर सही होना पाकर अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित कर रहा हूँ, ताकि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे।

दिनांक 6.5/06 /1997

ह0 वसीयतकर्ता

गवाह :-

(1) बुधरसाय आ0 सिकवा, जाति उरांव, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, तहसील प्रतापपुर

(2) मोहरलाल आ0 जग्गु, जाति उरांव, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, तहसील प्रतापपुर

प्रति

प्रति

श्रीमान कलेक्टर एवं एसडीएम महोदय

ग्राम – चौरा महान-3

विषय – मुआवजा एवं नौकरी के संबंध में

महोदय –

सविनय निवेदन है कि मै जयप्रकाश गुप्ता, आत्मज श्री स्वर्गी० छाकु साव एवं मेरा खसरा नम्बर $\frac{1053}{18}$, रकबा 0.405 आर्य है वर्तमान में जिसमें 7 (सात) आम का पेड एवं 1 (एक) कटहल का पेड है। (जिसका मोटाई 3 फिट लगभग है) जो कि मेरे नाम से महान-3 मे नौकरी नाही मुआवजा वर्तमान लिस्ट मे नही है। जबकि मेरा जमीन महान-3 के अंदर है।

महोदय जी से निवेदन है कि इसका निराकरण जल्द से जल्द करने की महान कृपा करें।

Jaiprakash Gupta

प्रार्थी

जयप्रकाश गुप्ता

ग्राम – केरवा (चौरा)

17/3/17

संलग्नक-4 (1)

GM Bhatgaon Area (ENV.) 149(1) 18/03/17

जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना के जिला सुरजपुर के अंतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर के धान खरीदी प्रांगण मे ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार, दिनांक 17/03/2017 को सम्पन्न पर्यावरणीय जन सुनवाई मे ग्रामीणो द्वारा उठाये गये आपत्ती पर महा प्रबंधक द्वारा सुझायी गयी निराकरण:

क्र.	ग्रामीणो द्वारा दर्ज की गयी आपत्ति	महा प्रबंधक द्वारा दी गयी समाधान
1.	प्रस्तावना	महाप्रबंधक आर.के. निगम द्वारा सर्वप्रथम माननीय सी.ई.ओ. (पंचायत), जिला-सुरजपुर, अनुविभागीय दंडाधिकारी (एस.डी.एम.) प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर, क्षेत्रिय अधिकारी- सी.ई.सी.बी. अम्बिकापुर, सभी पुलिस अधिकारीयो एवं उपस्थित ग्रामीणो का आभार व्यक्त किया गया तथा इस बात पर विशेष बल दिया कि एस.ई.सी.एल. अपने जबावदारी के प्रति प्रतिबद्ध है एवं नियम के दायरे मे रहकर सभी कार्य पालन करने का आश्वासन देता है।
2.	आदिवासी क्षेत्रो मे पी.ई.एस.ए. के अंतर्गत जमीन अधिग्रहीत के सम्बंध मे।	सी.बी.ए. एक्ट के अंतर्गत जब आदिवासी क्षेत्र मे जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो सी.बी.ए. एक्ट पी.ई.एस.ए. को अधिक्रमण (supersede) करता है। अतः सी.बी.ए. एक्ट के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र मे जमीन अधिग्रहण करना नियम विरुद्ध नही है। विस्थापन के समय आदिवासी समाज की सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
3.	ग्रामीणो की जमीन के एवज मे नौकरी के सम्बंध मे।	एस.ई.सी.एल./कोल इंडिया को खदानो मे कामगारो की आवश्यकता है। जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना के अंतर्गत चार गाव है जिसमे आज दो गावो की जनसुनवाई हुयी है। प्रबंधन की ओर से नियम के अनुसार नौकरी देने का आश्वासन देता हु।
4.	महान II मे नौकरी एवं मुआवजा के सम्बंध मे।	महान 2 परियोजना मे यदि कुछ कारणवश ग्रामीणो को पुरा मुआवजा एवं / और नौकरी नही मिल पायी है तो उसे भी नियम के दायरे मे रहकर पुरा करेंगे।
5.	सडक, बिजली, पानी, जैसे आधारभुत सुविधाओ के सम्बंध मे।	सी.एस.आर. के तहत जितनी भी फंड आयेगा हम उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावित ग्रामीणो के विकास एवं कल्याण कार्यो मे लगायेंगे।
6.	जल स्तर का नीचे होने के सम्बंध मे।	चुकि यह आम राय बनती जा रही है कि जब भी कोइ खदान खुलती है तो आस पास के भु-जल स्तर भी नीचे हो जाती है, इसके कारण का पता लगाने के लिये कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान एन.ई.ई.आर.आई. नागपुर, से पहली बार साइंटिफिक स्टडी करवाने का निर्णय लिया, जिसकी लागत 40 लाख रुपये है। एन.ई.ई.आर.आई. नागपुर, के अध्ययनो के आधार पर दी जाने वाली अनुसंशायो / उपायो का पूर्ण रुप से पालन किया जायेगा, यह प्रबंधन की ओर से भरोसा दिलाया जाता है।
7.	आस पास के गावो का विकास के सम्बंध मे।	सी.एस.आर. मद मे कुल लाभ का 2 प्रतिशत राशि निर्धारित है। इसके आधार पर पुरा फंड गावो मे विकास कार्यो के लिये उपयोग किया जायेगा।
8.	महान 2 खदान मे ग्राम वासियो के विरुद्ध कोर्ट केस के सम्बंध मे।	महान 2 खदान मे किसी भी कारण से ऐसी कोइ स्थिती बनी कि कोर्ट मे केस चल रहा है। हम यह नही बोलेंगे की गलती गाव वालो की है बल्कि हमे उन्हे समझाकर इसका हल निकालना था, हम यह बिश्वास दिलाते है कि हम इस विचार धारा के नही है कि आपस मे लडाई या दुश्मनी करके कोइ समस्या का निराकरण चाहते है। चुकि प्रकरण न्यायालयीन है, जो भी रास्ता न्यायालय के माध्यम से निकलेगा एवं जो भी उचित होगा हम लोग निराकृत करने की कोशिश करेंगे।
9.	धुल शमन, वाहन द्वारा कोयला परिवहन के सम्बंध मे।	कोयला परिवहन के मार्गो पर धुल शमन के लिये नियमित जल छिडकाव किया जायेगा। तथा कोयला परिवहन ढके हुये ट्रको द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त खदान के सेफ्टी ज़ोन मे भी वृक्षारोपण किया जायेगा।
10	खदान मे ब्लास्टिंग के सम्बंध मे।	कोल माईस रेगुलेशन 1957 एवं डी.जी.एम.एस के निर्देशो का पुर्ण रुप से पालन करते हुये खदान मे कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जायेगी और इसके प्रभाव को नगण्य किया

अधिकारी 18/3/17

1953 18/3/17

13/3/17

(2)

		जाएगा।
11	धन्यवाद ज्ञापन	अंत मे महाप्रबंधक द्वारा माननीय सी.ई.ओ. (पंचायत) जिला-सुरजपुर अनुविभागीय दंडाधिकारी-प्रतापपुर, क्षेत्रिय अधिकारी- सी.ई.सी.बी. एव उपस्थित ग्रामीणो को कार्यक्रम मे भाग लेने के लिये धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

17/3/17
महाप्रबंधक
General Manager
एस.ई.सी.एल., भटगांव क्षेत्र
S.E.C.L., Bhatgaon Area

NO 149 (A) DATE 18/03/17

(3)

Statement of General Manager, SECL, Bhatgaon Area against queries raised by Project affected villagers in the Public Consultation Process for Jagannathpur OCP, as per EIA Notification 2006, held on 17/03/2017 at Dhan Kharidi Kendra, Jagannathpur for village- Jagannathpur and Pampapur under Surajpur district.

Sl No	Objection raised by villagers / Project affected persons.	Submission of General Manager, SECL Bhatgaon Area.
1.	Prelude by General Manager, SECL Bhatgaon Area.	I, on behalf of SECL, Bhatgaon Area, welcome respected CEO (Panchayat), District- Surajpur, SDM- Pratappur, Regional Officer, CECB Ambikapur, all police officials and participating villagers. I further assure that the company is committed to fulfill its responsibilities in all respects being within the precinct of applicable laws.
2.	Regarding acquiring land in Scheduled-V area under PESA Act.	When any land is acquired under CBA Act, this act supersedes PESA Act. Therefore acquisition of land in Scheduled-V area is not illegal. However it shall be ensured to maintain the civilization and culture of tribal society while rehabilitation and resettlement of tribals.
3	Employment of villagers in lieu of tenancy land.	SECL / Coal India offers employment due to need of manpower for its mines. There exist four villages within the acquired area of Jagannathpur OCP, out of which Public Hearing of two villages under district Surajpur is being conducted. Management assures to provide employments as per the prevailing laws / guidelines.
4	In respect of employment and compensation of Mahan II OCM.	Affected villagers of Mahan II OCP, Bhatgaon Area, who were not, awarded employment and/or compensation due to any reason, management commits that they will be considered as per prevailing laws at the earliest convenience.
5	Regarding basic amenities like road, electricity, drinking water etc.	Funds available under CRS head will be used for the development and welfare of most of the affected villages.
6	In respect of apprehension of receding of water table in mining area.	This is becoming a generalized opinion that the water table descends below the normal level wherever mining activity commences in any area. To explore the actual reason National Environmental Engineering and Research Institute (NEERI), Nagpur, a Government of India recognized Institution, has been engaged to study and suggest remedial measures in this regards wherein Rs. 40 Lakh is expected to be incurred

1554 18/3/17

18/3/17

		for the study. This is being assured from the part of SECL management that the recommendations and remedies of NEERI based upon the study will be fulfilled religiously.
7	Regarding development of nearby villages.	Fund equivalent to 2% of total profit is earmarked for CSR activities. The entire fund generated shall be used for development of villages.
8	Regarding court case of Mahan II OCM against villagers.	There has been some situation in Mahan II OCM under which a case has been registered in the court of law, though the company did not have any such motive. We do not hold responsible to any villagers but we apprehend that the case ought to have been solved by mediating bilateral talks. The case is now sub-judice so the solution of the case will be based upon the verdict of the court.
9	Regarding dust suppression and coal transportation by road.	Water spraying shall be done for dust suppression on coal transportation roads. Loaded tippers shall be covered by tarpaulin while transportation of coal to minimize coal spillage & dust formation. In addition, plantation / green belt shall be developed along the safety zone of the mine.
10	Regarding blasting in mine.	Controlled blasting shall be ensured as per the guidelines of DGMS and applicable regulations of CMR 1957 to minimize the impact of blasting.
11	Conclusion and vote of thanks to the officials and villagers present thereat.	At the end I, on behalf of SECL, express my gratitude to respected CEO (Panchayat) Surajpur district, SDM (Pratappur), Regional Officer, CECB Ambikapur, all participating villagers and others.

General Manager,
SECL, Bhatgaon Area

महाप्रबंधक
General Manager
एस.ई.सी.एल., भटगांव क्षेत्र
S.E.C.L., Bhatgaon Area

संलग्नक-5 (1)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह. –राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/03/2017 को स्थान–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री संजीव कुमार झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 17/03/2017 को स्थान–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में दोपहर: 01:40 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 21.11.2016 एवं 24.11.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 07.12.2016 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–सूरजपुर (छ.ग.) के पत्र दिनांक 01/02/2017 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 17/03/2017, समय–दोपहर 12:00 बजे, स्थल–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 02.02.2017 को राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द टाईम्स ऑफ इंडिया', दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं स्थानीय समाचार पत्र अंबिकावाणी में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की 'सर्व संबंधितों को सूचना' प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला–सूरजपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–सूरजपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवापारा, अंबिकापुर,

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Surajpur(C.G.)

जिला–सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत– जगन्नाथपुर, केरता, पंपापुर, मदनपुर, मानपुर एवं धर्मपुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर, (छ.ग.), कार्यालय डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। तत्पश्चात् कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया, इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री अजय कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा परियोजना के सम्बंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री रामेश्वर लकड़ा, ग्राम जगन्नाथपुर– ग्रामपंचायत जगन्नाथपुर का ग्रामसभा का प्रस्ताव दिनांक 08.02.2014 एवं सरगुजा संभाग स्तरीय आदिवासी महापंचायत, जगन्नाथपुर का ग्रामसभा प्रस्ताव दिनांक 22.01.2017 के पालन के संबंध में, जगन्नाथपुर महान–3 परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में, ग्राम सभा का प्रस्ताव एस.ई.सी.एल. भटगांव द्वारा प्रस्तुत करने के संबंध में, भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 (3) (क), अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 244 (1) अनुच्छेद 244 (2), अनुच्छेद 19 (5) (6) के पालन के संबंध में, ग्रामपंचायत चौरा एवं पंपापुर के संबंध में जो आवेदन दिया गया है उसका जवाब अभी तक नहीं आया है।
2. श्री बाबूलाल सिंह, ग्राम मदननगर– जो आवेदन दिये हैं उसका जवाब आने दें उसके बाद ग्राम सभा किया जाय। हमारे बातों का ध्यान दिया जाये एवं पालन किया जाये।
3. श्री जंगसाय, ग्रामपंचायत गणेशपुर– संवैधानिक रूप से आज इस मंच से पर्यावरण जन सुनवाई का विरोध करते हैं। क्योंकि हमारी उपस्थिति में तीन ग्रामसभा आयोजित हुआ। अंतिम ग्रामसभा तहसीलदार प्रतापपुर की अध्यक्षता में यहां भारी बहुमत से हुआ जिसमे ग्राम जगन्नाथपुर के लोगों द्वारा कहा गया कि हम एक इंच जमीन नही देना चाहते। इससे पहले भी कई बार ग्रामसभा हुआ और भारी बहुमत के साथ ग्राम जगन्नाथपुर एवं आसपास के ग्रामसभाओं द्वारा भारी विरोध किया गया। शासन एवं प्रसाशन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये हमे खेद है। आदिवासी समाज की ओर से इसका हम घोर निंदा करते हैं, और इसका विरोध करते हैं। हमारे गांव में जो बैगा और भुरका है उसका अधिकार राष्ट्रपति के बराबर है। अनुच्छेद 13 (3) का घोर उल्लंघन हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और हम खारिज भी करते हैं। अनुच्छेद 244 (1) को पूर्ण स्वशासन एवं नियंत्रण की शक्ति है। यहां अनुच्छेद 244 (1) (2) का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिये पर्यावरण जनसुनवाई का हम विरोध करते

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Surajpur(C.G.)

हैं। अनुच्छेद 244 (1) कंडिका (5) के तहत् सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून लागू नहीं है। लोग प्रतिनिधित्व कानून 1951, भू राजस्व संहिता कानून, भूमि अधिग्रहण कानून हमारे इलाके में लागू नहीं है। हमारे क्षेत्र में बिलद्वार आदिवासी परम्परा की याद दिलाता है हमारे बिलाली पाक देवता बिलद्वारा में स्थापित थे एस.ई.सी.एल. के आने के बाद से उसके विस्फोट से हमारा धार्मिक स्थल आज दब गया जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। इसका घोर निंदा करते है और विरोध करते हैं। हमारे यहां जड़ी बूटी है एवं वन शक्ति देवता का जगह–जगह स्थान है जहां हमारे देवी देवता का निवास है इसलिए हम इस स्थान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जल, जंगल और जमीन हम किसी को नहीं देना चाहतें है। हमारे जगन्नाथपुर में ठडहा देवता का स्थान है। विधानसभा न लोकसभा सबसे बड़ी ग्रामसभा है। ये मैं नहीं कहता यह भारत का संविधान कहता है। हम पर्यावरण जनसुनवाई का घोर विरोध करते हैं।

4. श्रीमती भानमती, ग्राम कनकनगर– हमारे भारत देश में माता जी उठ कर खड़ी हुई हैं। हमार जंगल नहीं देहूं, हमर महतारी का पेट चीरत हाये भारत देश नहीं देहू। हम जमीन नहीं देहूं।

5. श्री महेश सोनी, ग्राम पंपापुर, चौरा– मैं एस.ई.सी.एल. में काम करता हूं। मेरी माता जी का तबियत खराब हो गया था, एस.ई.सी.एल. ने इलाज के लिये 27 लाख रूपये दिये। पंपापुर का पर्यावरण ठीक है। नौकरी से रिटायर होने के बाद 20 लाख रूपये मिलेगा। एस.ई.सी.एल. की नौकरी में पानी, गैस मिलती है। कोई तकलीफ नहीं है।

6. श्री शिवजीत मिंज, ग्राम जगन्नाथपुर– हमको नौकरी दी जाये, हम 80 प्रतिशत मुआवजा ले चुके हैं। 20 प्रतिशत बचा है। जल्द से जल्द नौकरी दी जाय।

7. श्री जीवन खाखा, ग्राम–जगन्नाथपुर– जगन्नाथपुर में खाताधारी 207 है। ज्यादा लोग मुआवजा ले चुके हैं। दूसरे गांव के लोग इसका विरोध कर रहें हैं हम लोगों को नौकरी दी जाये। चौरा में महान 2 में 48–49 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है। कम समय में ट्रेनिंग दिया जाय। भाई लोग जो बोलेंगे उससे मैं सहमत हूं।

8. श्री कपिल देव सिंह, ग्राम–जगन्नाथपुर– यहां बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। बहुत धूल उड़ती हैं। पानी छिड़काव नहीं होता है। बहुत स्पीड से गाड़ी चलती है, गाड़ी धीमें चलायें जिससे दुर्घटना न हो। यही मैं कहना चाहता हूं।

9. श्री अरविंद वेक, ग्राम–जगन्नाथपुर– जगन्नाथपुर में 90 प्रतिशत मुआवजा ले चुके हैं। 10 प्रतिशत बचें हैं। हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द नौकरी दी जाये।

10. श्री धरणी धरण, ग्राम–जगन्नाथपुर– 125 लोग मुआवजा ले चुके हैं लेकिन नौकरी नहीं मिला। नौकरी नही मिलेगा तो हम क्या करेंगें ? रोड में दुर्घटना पर ध्यान दिया जाये। जल्द से जल्द नौकरी दिया जाय।

11. श्री सजंय लकड़ा, ग्राम–जगन्नाथपुर– रोड पर गड्ढा हो गया है। रोड खराब हो गई है। रोड बनवाने का कष्ट करे। पानी बराबर डलवाये, कृपया अच्छा रास्ता बनवायें।

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Surajpur(C.G.)

12. श्री राजेश प्रजापति, ग्राम चौरा– दो महीने पहले फार्म भरा था जितना जल्दी हो नौकरी व मुआवजा फाईनल किया जाये।

13. श्री शंकर यादव, ग्राम चौरा– मेरा जमीन फंसा है मुआवजा दीजिए और खदान चालू करें।

14. श्रीमती सुनीता यादव, ग्राम पंपापुर– हमारा जमीन 3 भाग में जा रहा है। ये धरती हमारी मां है। जिस मां से बेटा छीन लिया जाये तो कितना कष्ट होता है। हमारी जमीन छीन ली जा रही है। हमारी जमीन चली जा रही है पैसा तो एस.ई.सी.एल. दे रही है, पर खतम हो जायेगा । हम हमारे पीढी के लिए कुछ नहीं बचा पा रहे है। हमे नौकरी दी जाये। मेरी पंपापुर की थोड़ी जमीन को महान 2 की जमीन में जोड़ दिया जाये। हमें नौकरी दी जाये हम पब्लिक एक, हमारा जमीन एक, हम परिवार एक हैं तो हमे नौकरी दी जाये। जिला अलग–अलग है लेकिन हम परिवार एक हैं हमारी जमीन एक है हमें नौकरी दी जाय, हमारा हक दिया जाये। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारी मांग पूरी होगी तो समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं।

15. श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम चौरा – खदान से बहुत प्रदूषण होता है, धूल डस्ट उडता है, खदान न खुले। महान– 3 में तीन एकड़ जमीन है दाना बीज नहीं लग रहा है। धूल से फसल खराब हो रही है। खदान नही खुलना चाहिए हम जमीन नहीं देंगे।

16. श्री बनवारी खलको, ग्राम मदननगर– हमारा क्षेत्र हाथी से प्रभावित हैं। हमारे लोगों को जब हाथी मरवा देता है तो हाथी को कुछ नहीं किया जाता है। हाथी द्वारा फसल नुकसान होने पर 2000 रूपये एकड़ दिया जाता है। एस.ई.सी.एल. एक पीढी को देगी दूसरी को नहीं । हमारे सेटलमेंट की जमीन को छीना जा रहा है। एक एकड़ मे 40 करोड से 80 करोड़ का मुनाफा होता है। हम अपना जमीन नहीं देंगे। हम पेड़ पौधों को देवी देवता मानते हैं, इसकी रक्षा करेंगे। संविधान में जो लिखा है उसकी रक्षा हम करेंगे।

17. श्री रमाशंकर गुप्ता, ग्राम चौरा– यह खुली खदान परियोजना है। डम्पिंग क्षेत्र में पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। पर्यावरण का ध्यान रख कर खनन कार्य करें हम समर्थन करते हैं। एस.ई.सी.एल. द्वारा अच्छी सुविधा दी जायेगी। आसपास के गांव का विकास होगा। कल कारखाने से आर्थिक स्थिति में विकास होगा। एस. ई.सी.एल. रसोई गैस देता है जिससे जंगल की कटाई कम होगी। जो ग्राम अधिग्रहित क्षेत्र है उसका ध्यान रखे।

18. श्री टिकेश्वर खाका, जगन्नाथपुर, सरपंच– यहां खदान खुलने से सहमत नहीं हूं।

19. श्री सी. जय लकड़ा, ग्राम चौरा– कोयला डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाये। डम्प किया गया वहां पौधा लगाया जाये। महान 2 में तेज ब्लास्टिंग होने से हमारे कुएं और नल सूख गया हैं इसलिए नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये। रोड पर जो गडढे हो गये हैं उसे सुधारा जाये।

20. श्री अशोक प्रजापति, ग्राम चौरा–मेरी समस्या है कि मेरा एक एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन का मुआवजा दिया गया है। जल्द से जल्द रिकार्ड सुधार कर नौकरी और मुआवजा देने का कष्ट करे।

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Surajpur(C.G.)

21. श्री लक्ष्मीदास, ग्राम मदननगर– घर बेचने के बाद अपने घर में आते है कि नहीं? जो जमीन को नहीं देना चाहते है। जमीन देने के बाद में क्या होता है, बाल बच्चा कहां जायेंगे ? मुआवजा मिलने के बाद में क्या होता है पता है ? कभी मुर्गा खा लेगें कभी बकरा खा लेगें। उसके बाद क्या होगा ? जमीन देना नहीं चाहते है। खदान खुलने के बाद हमे भागना पड़ जायेगा जमीन हम नहीं देंगे। खदान का विरोध करते हैं।
22. श्रीमती उधो मिंज, ग्राम मदननगर– कोई एक एकड़ कोई आधा एकड़ जमीन दे रहे हैं। जमीन देने वालो की इज्जत नहीं है और जमीन लेने वाला का इज्जत भी नहीं है।
23. श्रीमती पांचो बाई, ग्राम जगन्नाथपुर– हम जमीन नहीं देंगे।
24. श्रीमती फुलकन, ग्राम जगन्नाथपुर – हम अपने बेटे को जमीन दे रहें है, बेटा अपने बेटे को जमीन देगा, यदि हम जमीन दे देंगे तो जमीन कहां से पायेंगे ? जमीन के बदले जमीन चाहिए नहीं तो हम जमीन नहीं देंगे। हम लोगों को खदान नहीं खुलवाना है।
25. श्रीमती रजनी, ग्राम जगन्नाथपुर– जमीन नहीं देना चाहती हूं।
26. श्रीमती ईशमति, ग्राम चौरा– मेरा जमीन चौरा में है। मेरा भैया नहीं है। मेरी जमीन है। मेरा कोई नहीं है। मेरे बाल बच्चे छोटे–छोटे है। जमीन नहीं देना चाहती हूं। मेरे को मुआवजा नहीं मिल पाया है, मेरा कागज नहीं बना है। खदान खोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं।
27. श्री हउदा राम, ग्राम जगन्नाथपुर – मैं अपना जमीन कही भी दे सकता हूं।
28. श्री बालसाय, ग्राम मदननगर– जिस दिन से खदान खुली उस दिन से द्वो बार रायपुर गये तीसरी बार दिल्ली गये। तुम्हारा जमीन है दोगे तो लेगा, नहीं दोगे तो कोई नहीं लेगा। प्रतापपुर एस.डी.एम. के पास, सूरजपुर कलेक्टर एवं थाना चौकी गये कोई नहीं सुनता, हमारा कोई नहीं है। हम किसी को घूस नही देते हैं। हम जमीन नहीं दे सकते हैं, ये सब हैं एस.ई.सी.एल. के नौकर।
29. श्री धनुषधारी, ग्राम चौरा– मैं धरती मां का पुजारी हूं, मां ने जन्म दिया है, धरती मां मेरे को गोद लिया है इस धरती मां को खदान के लिए नहीं देना चाहता हूं। इसमें हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। किसी को जमीन नहीं देना है हमारे बाल बच्चे मर जायेंगे।
30. श्री सोनसाय, ग्रामपंचायत सरपंच, ग्राम चौरा– मैं पहले भी सरपंच था अभी भी हूं। ग्रामसभा कौन दिया, लोगों ने कहा ठीक है। हमको फंसा दिया गया। पहले काम बंद किया गया फिर काम चालू कर लिया गया। आठ साल हमारी पेशी हुई, हमारी विजय हुई। काम ये फर्जी चल रहा है। गांव का कोई भी फार्म भरता है और पैसा निकाल लेता है और हमें फंसा देता है। हमारे गांव में खदान नहीं खुले। पर्यावरण क्षति हो रही है। हमारा केस हाईकोर्ट में चल रहा है, एस.ई.सी. एल. द्वारा केस किया गया है, कोर्ट जो निर्णय करे वह हम मानेंगे। गांव में अच्छा काम होना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद गिरेंगे। ग्रामसभा प्रस्ताव को गांवो के लोगों से विचार करके पास होना चाहिए।
31. श्री प्रभुराम, ग्राम जगन्नाथपुर– धरती हम लोगो का है। एस.ई.सी.एल. वाले धरती पर पांव नहीं रख रहें है। हम लोग खदान नहीं चाहते हैं कि यहां खदान

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Surajpur(C.G.)

खुले। आप लोग पैसे से विकास कर लेंगे। हम तो जमीन से विकास कर पायेंगे।

32. श्री अमृत लकड़ा, ग्राम जगन्नाथपुर– खदान खुले न खुले वह अपनी जगह है। लोग कह रहे हैं कि जमीन दोगे तो जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे, तो बच्चों का क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दें। जो पेड़ काट कर पौधे लगाये जा रहे हैं। उसका क्या मुआवजा मिलेगा। रोड के गडढे का मरम्मत कराया जाये। जल छिड़काव किया जाये। सड़क किनारे पेड़ पौधा लगाया जाये।

33. श्री सूरज एक्का, ग्राम जगन्नाथपुर– मेरा उम्र 18 साल है। धरती मां और अपनी मां में फर्क है। धरती मां 03 से 80 साल तक पालती है। यहां एक एकड में 8 लाख दिया जा रहा है, 8 लाख मे शहर मे 8 डिसिमल भूमि मिलेगा तो क्या करेंगें।

34. श्री नंदकेश्वर, ग्राम मदननगर – 12 पीढ़ी से मेरे बाप, दादा, परदादा है। हमें मुआवजा तो दे देंगे, हमारे अंतिम संस्कार के लिये बच्चा चाहिए तो क्या उसको भी मुआवजा देंगे ? आप लोग बता दीजिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग अपरान्ह 03:16 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आर. के. निगम, महाप्रबंधक द्वारा उद्योग के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 03:30 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 21 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 34 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 400 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 173 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

21/03/2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, सूरजपुर,
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Surajpur (C.G.)

संलग्नक-7 (1)

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह. –राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/03/2017 को स्थान–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–

उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	रामप्र लाल	जगन्नाथपुर	रामप्रलाल
2	शैलेन्द्र गुप्ता	कोरंधा	[illegible]
3	राजेश जायसवाल	जगन्नाथपुर	राजेश जायसवाल
4	श्याम रजवार	जगन्नाथपुर	श्याम
5	प्रिंस पंकज गुप्ता	जगन्नाथपुर	[illegible]
6	रूपन	जगन्नाथपुर	[illegible]
7	हिरालाल	जगन्नाथपुर	हिरालाल
8	शिवनाथ	जगन्नाथपुर	शिवनाथ
9	रामचन्द्र राता	कोरंधा	[illegible]
10	संतोष कुमार	कोरंधा	[illegible]
11	कृष्णा गुप्ता	जगन्नाथपुर	कृष्णा गुप्ता
12	शोभित	जगन्नाथपुर	शोभित
13	रामसाय	जगन्नाथपुर	रामसाय
14	चन्द्र	जगन्नाथपुर	[illegible]
15	भोला	[illegible]	भोला
16	सिकन्दर	[illegible]	सिकन्दर
17	गोपाल	जगन्नाथपुर	गोपाल
18	[illegible]	जगन्नाथपुर	[illegible]
19	बिहारीलाल	[illegible]	बिहारीलाल
20	दिलीप टोप्पो	पम्पापुर	[illegible]
21	जगदीश मिंज	जगन्नाथपुर	जगदीश
22	जगरनाथ बेक	–॥–	जगरनाथ
23	राजेश तिर्की	–॥–	[illegible]
24	राजू मिंज	–॥–	राजू

25	नाम	ग्राम	हस्ताक्षर
26	पिन्टू	जगन्नाथपुर	[illegible]
27	रमेन्द्र	महनगर	रमेन्द्र
28	संजय	जगन्नाथपुर	S. Lakray
29	महेन्द्र	जगन्नाथपुर	[illegible]
30	दिनेश	"	[illegible]
31	मिथुन	"	मिथुन
32	मोहन	"	मोहनराम
33	सुखदेव	"	[illegible]
34	सोनु लाल	"	सोनुलाल
35	रामविलास	"	Rambilas
36	अमित	"	Amit
37	अमन	"	[illegible]
38	हनुमान लाल	"	[illegible]
39	उमेश	"	[illegible]
40	दयाल टेराम	जगन्नाथपुर	[illegible]
41	मनोहर	पनापुर	[illegible]
42	मनोज यादव	चौरा	[illegible]
43	शिवू	जगन्नाथपुर	[illegible]
44	राजू [illegible]	पनापुर	[illegible]
45	दिवान	जगन्नाथपुर	दिवान
46	रमेश	जगन्नाथपुर	[illegible]
47	अशोक	जगन्नाथपुर	अशोक
48	[illegible]	"	[illegible]
49	[illegible]	"	[illegible]
50	[illegible]	"	[illegible]
51	मिथुन	"	मिथुन

52	संतोष कुमार पाण्डेय	केरवा	[illegible]
53	विजय प्रताप शुक्ला	केरवा	[illegible]
54	[illegible]	केरवा	
55	[illegible] शुक्ला	केरवा	[illegible]
			[illegible]
56	विमला	[illegible]पुर	
57	[illegible]	चौरा	विमला [illegible]
58	[illegible]	चौरा	[illegible]
59	सुशील	चौरा	[illegible]
60	[illegible]	चौरा	[illegible]
61	जमुना	चौरा	जमुना [illegible]
62	[illegible]	भगवानपुर	[illegible]
63	[illegible]	〃	
64	विष्णुराम	〃	[illegible]
65	[illegible] शुक्ला	केरवा	
66	प्रेम [illegible]	पटवापुर	[illegible]
67	रामबालक सिंह	भगवानपुर	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	राजेन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	चौरा	
71	[illegible]	भगवानपुर	[illegible]
72	विजय [illegible]	भगवानपुर	[illegible]
73	[illegible]		[illegible]
74	[illegible] राम	पटवापुर	[illegible] राम
75	[illegible] सिंह	पटवापुर	[illegible]
76	[illegible]	भगवानपुर	[illegible]
77	[illegible]	पटवापुर	Babulal
78	[illegible]	[illegible]पुर	[illegible]

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह. –राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/03/2017 को स्थान–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–

उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
79	विजय गुप्ता	ग्राम० केरता पो० खड़गवांकला	[illegible]
80	भारतलाल	ग्रा० पम्पापुर पो० खड़गवांकला	[illegible]
81	दिपक सिंह	ग्राम केरता पो० खड़गवांकला	[illegible]
82	[illegible]	ग्राम जगन्नाथपुर	[illegible]
83	[illegible] राम	— 11 —	[illegible]
84	विजय [illegible]	— 11 —	विजय
85	सिजय	ग्राम चौरा	[illegible]
86	कपिल देव सिंह	ग्राम जगन्नाथपुर	[illegible]
87	सरजुत	ग्राम – जगन्नाथपुर	सरजुत
88	शिवरतन	ग्राम – जगन्नाथपुर	शिवरतन
89	रामकरन		रामकरन
90	Arvind Beck	Jagnathpur	[illegible]
91	[illegible]	जगन्नाथपुर	[illegible]
92	जीवन खाखा	जगन्नाथपुर	[illegible]
93	[illegible]	जगन्नाथपुर	[illegible]
94	विकास [illegible]	जगन्नाथपुर	[illegible]
95	[illegible]	जगन्नाथपुर	[illegible]
96	शिव कुमार यादव	चौरा	[illegible] yadav
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	विशाल राम	चौरा	विशाल राम
100	आग [illegible]	11 11	[illegible]
101	महेश कुजूर	11 11	[illegible]

102	हिरालाल	चौरा	हिरालाल
103	गोबिन कोरी	चौरा "	[illegible]
104	राजनाथ	जगन्नाथपुर	राजनाथ
105	रामकुमार	—"—	रामकुमार
106	शिवशंकर कुजूर	चौरा	[illegible]
107	लौलसाय भगत	चौरा	लौलसाय भगत [illegible]
108	सहदेव नायक	चौरा	[illegible]
109	सिमोन लकड़ा	चौरा (चिदकादीप्य)	[illegible]
110	सुशील	—x—	[illegible]
111	रितेश	जगन्नाथपुर	[illegible]
112	मुकेश	—"—	[illegible]
113	दिनेश्वर लकड़ा	चौरा	[illegible]
114	राजेन्द्र	जगन्नाथपुर	[illegible]
115	जितेन्द्र मिंज	जगन्नाथपुर	
116	राम धीरेन्द्र मिंज	जगन्नाथपुर	
117	निर्मलाबाई	जगन्नाथपुर	निर्मलाबाई
118	सोमार साय	—"—	सोमारसाय
119	हरि लाल	—"—	[illegible]
120	कृष्णा	—"—	कृष्णा
121	तिवारी	—"—	तिवारी
122	[illegible]	—"—	[illegible]
123	प्रेमनराम	जगन्नाथपुर	प्रेमनराम
124	रोकशा बेक	जगन्नाथपुर	रोकशा बेक
125	प्यारे लाल	—"—	[illegible]
126	सोनू मिंज	जगन्नाथपुर	सोनू मिंज
127	ईश्वनाथ	जगन्नाथपुर	ईश्वनाथ
128	गंगाराम	जगन्नाथपुर	गंगाराम
129	देवसाय	—"—	देवसाय
	जगसिंह	जगन्नाथपुर	जगसिंह

130	राजनाथ	जगन्नाथपुर	राजनाथ
131	[illegible]	— " —	[illegible]
132	ज्योति	जगन्नाथपुर	ज्योति
133	[illegible] सिंह	— " —	[illegible]
134	मथुरा राम	— " —	मथुरा
135	हंसलाल	— " —	हंसलाल
136	अमर बहादुर	— " —	अमर
137	संतोष	— " —	[illegible]
138	राम प्रसाद	जगन्नाथपुर	रामप्रसाद
139	बिमलेश	जगन्नाथपुर	बिमलेश
140	विमला	— " —	[illegible]
141	रामरूप	— " —	रामरूप
142	सुनील	— " —	[illegible]
143	अनील	जगन्नाथपुर	अनील
144	मोती [illegible]	जगन्नाथपुर	मोती
145	देवीचरण	— " —	देवीचरण
146	धरमजीत	— " —	धरमजीत
147	करलू [illegible]	— " —	करलू
148	ठाकुर दयाल	जगन्नाथपुर	ठाकुर
149	केशवा सिंह	जगन्नाथपुर	[illegible]
150	महेन्द्र सिंह	— " —	[illegible]
151	सुभाष सिंह	— " —	[illegible]
152	गोलवा	— " —	गोलवा
153	बईगा राम	जगन्नाथपुर	बईगा
154	कृष्णा तिर्की	जगन्नाथपुर	कृष्णा
155	इवी	जगन्नाथपुर	इवी
156	[illegible]	— " —	[illegible]
157	विनय	जगन्नाथपुर	[illegible]
158	मिधी	— " —	मिधी

159	राम भरोस	केला	भरोसे
160	संतोष वैद्य		
162	सुखलाल	अमानाथपुर	सुखलाल
163	रामबक्स	अमानाथपुर	रामबक्स
164	जयसिंह	पथापुर	
165	रामनाथ	अमानाथपुर	
166	जयलाल	″	जयलाल
167	[illegible]	″	[illegible]
168	टीना	″	टीना
169	लालसाय	″	[illegible]
170	देवलाल	″	देवलाल
171	रामसाय	″	रामसाय
172	[illegible]	अमानाथपुर	[illegible]
173	हेमचलाल	अमानाथपुर	[illegible]